



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड I) 2018-19



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार

वित्त लेखे (खण्ड I)

वर्ष 2018-19 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड I	
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii -vii
■ वित्त लेखे की निर्देशिका	ix-xiv
विवरण 1 वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2 प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण	4-6
अनुबंध क- रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश	7
विवरण 3 प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	8-10
विवरण 4 व्यय का विवरण (समेकित निधि)	11-15
विवरण 5 प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	16-20
विवरण 6 उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	21-22
विवरण 7 सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण	23-24
विवरण 8 सरकार के निवेशों का विवरण	25
विवरण 9 सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	26
विवरण 10 सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	27-28
विवरण 11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	29
विवरण 12 राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण	30-32
विवरण 13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार	33-34
■ लेखे पर टिप्पणियाँ	35-76
खण्ड II	
भाग I विस्तृत विवरणी	
विवरण 14 लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	78-111
विवरण 15 लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	112-171
विवरण 16 लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	172-275
विवरण 17 उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	276-290
विवरण 18 सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण	291-329
विवरण 19 सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	330-351
विवरण 20 सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण	352-359
विवरण 21 आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण	360-371
विवरण 22 उद्दिष्ट शेषों के निवेशों का विस्तृत विवरण	372-376

विषय सूची

विषय	पृष्ठ	
भाग II परिशिष्ट		
परिशिष्ट I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	378-386
परिशिष्ट II	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय	387-391
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	392-426
परिशिष्ट IV	बाह्य संपोषित परियोजनाएँ का ब्यौरा	427-429
परिशिष्ट V	स्कीम व्यय	430-477
	क. केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	
	ख. राज्य राज्य स्कीम	
परिशिष्ट VI	केन्द्रीय योजना निधि का राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को सीधे स्थानान्तरण (राज्य बजट से बाहर निधियों का परिचालन) (अअंकक्षित आंकड़े)	478-506
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकार्यता तथा मिलान	507-509
परिशिष्ट VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम	510-511
परिशिष्ट IX	सरकार की प्रतिबद्धता-अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की सूची	512-556
परिशिष्ट X	वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से के अलगाव के साथ अनुरक्षण व्यय	557-560
परिशिष्ट XI	बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय	561
परिशिष्ट XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं	562
परिशिष्ट XIII	राज्य का पुनर्गठन- मर्दें जिसके शेषों का विभाजन राज्यों के बीच अंतिम रूप से नहीं हुआ है	563-567

वित्त लेखे पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें बिहार सरकार के नियंत्राधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों 8, 9, 10, 15 (अनुबंध-1), 17(ख), 17(ग), 19 और 20 और परिशिष्ट III, IV, IX, XI और XII को बिहार सरकार / निगमों / कम्पनियों / सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गयी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी संपूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपनी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2018-19 वर्ष के लिए बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं ।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गयी नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार को पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मेरे वित्त, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं ।

महत्वपूर्ण विषय

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों/मामलों जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और संपूर्णता तथा लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

1. राज्य सरकार के विभागों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 631.50 करोड़ के 1,453 संक्षिप्त आकस्मिक(ए०सी०) विपत्र आहरित किए लेकिन ₹ 585.60 करोड़ के 1,413 विस्तृत आकस्मिक(डी०सी०) विपत्र वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व समर्पित नहीं किए । इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 585.60 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रायोजन के लिए खर्च की गयी है, जिसके लिये स्वीकृत/अधिकृत किया गया था । यह वर्ष 2018-19 में व्यय का संभवतः अतिदर्शन है ।

इसके अतिरिक्त, 2017-18 तक के ₹ 5,184.95 करोड़ के 14,082 ए०सी० विपत्र भी 31 मार्च 2019 तक लंबित थे । इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक ₹ 5,770.55 करोड़ राशि के कुल 15,495 ए०सी० विपत्र लंबित थे । अग्रिम निकालना और लेखा नहीं करना अपव्यय, दुरुपयोग, दुष्कृत्य आदि की संभावना बढ़ाता है ।


2. वर्ष 2018-19 में, बिहार सरकार के 19 विभागों द्वारा दिये गये सहायता अनुदान के विरुद्ध ₹ 17,661.84 करोड़ राशि के जो 157 उपयोगिता प्रमाणपत्र देय हुए, राज्य के निकायों और प्राधिकारों द्वारा समर्पित नहीं किये गये । इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 17,661.84 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रायोजन के लिए खर्च की गयी है, जिसके लिये इसे स्वीकृत/अधिकृत किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, 2017-18 तक के ₹ 37,743.25 करोड़ राशि के 2,296 उपयोगिता प्रमाणपत्र भी 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुतीकरण के लिए लंबित थे । इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक 33 विभागों के ₹ 55,405.09 करोड़ राशि के कुल 2,453 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण के लिए लंबित थे । लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र की अधिकता, निधि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है ।

3. सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पास लगातार पाँच वर्षों से आठ कोषागारों में संधारित आठ व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 65.11 करोड़ अव्ययित शेष थी। वर्ष 2018-19 के दौरान इन कोषागारों में से किसी ने भी इस राशि को संबंधित सेवा शीर्ष (मुख्य शीर्ष 2029) के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में सरकार की संचित निधि में वापसी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 65.11 करोड़ की राशि वास्तव में संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में संचित निधि में वापस की गयी है।
4. नई पेंशन योजना 2018-19 की अवधि में कुल अंशदान ₹ 1,141.30 करोड़ था (अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष ₹ 128.28 करोड़ को छोड़कर) जिसके विरुद्ध ₹ 1,081.26 करोड़ नामित प्राधिकार (एन०एस०डी०एल०) को, शेष बचे हुए ₹ 188.32 करोड़ को छोड़कर, योजना के प्रावधानों के अनुसार अग्रतर निवेश हेतु हस्तांतरित किये गये। इस प्रकार, वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित की गयी है।
5. सरकार ने 30 सार्वजनिक लोक उपक्रमों को 31 मार्च 2019 तक बकाया लेखे की अवधि में ₹ 30,481.18 करोड़ की बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान और सब्सिडी) प्रदान की और दायित्व (गारंटी) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक लोक उपक्रमों ने कम्पनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 42 वर्ष तक के अपने लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया है। मैं, इसलिए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम, 1971, कम्पनी अधिनियम और संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों के अंतर्गत इन सार्वजनिक लोक उपक्रमों के लेखे के प्रमाणीकरण के अपने दायित्व के पालन में असमर्थ हूँ।
6. वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) के स्वचालित संग्रहण के प्रारंभ होने से लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी लेनदेनों की नमूना जाँच के स्थान पर व्यापक जाँच की ओर बढ़ा जाय, जिससे लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक आदेश का परिपालन किया जा सके। डाटा तक वांछित पहुँच अभी प्रदान किया जाना बाकी है। जी०एस०टी० के सभी लेनदेनों के डाटा तक पहुँच नहीं होने के कारण जी०एस०टी० प्राप्तियों के व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। अतः वर्ष 2018-19 के लेखे, नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर एक बार अपवाद के रूप में प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि अभिलेखों को मैनुअल रूप में रखरखाव के समय किये जाते थे।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा टिप्पणियों में उपर्युक्त विषयों को विस्तृत किया गया है।

दिनांक: 3rd August, 2020
स्थान : नई दिल्ली



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की निर्देशिका

क. सरकारी लेखे के संरचना का वृहद् सार

1. बिहार सरकार के वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्ययों के लेखे के साथ-साथ राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर परिकल्पित राज्य सरकार के लोक-ऋण एवं देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करता है।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बन्धपत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित किए गए अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के अदायगी हेतु सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कुल राशि सम्मिलित है। इस निधि से राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित एवं भारत के संविधान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों तथा प्रदत्त रीतियों के अनुरूप हो। निश्चित श्रेणियों के व्यय (यथा, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण अदायगियाँ आदि) राज्य के समेकित निधि (भारित व्यय) पर भारित होते हैं तथा उनके लिए विधानमंडल के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तामत व्यय) विधानमंडल द्वारा मतदेय होते हैं।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं : राजस्व एवं पूँजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत बाँटा गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों, यथा- 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। इन तीन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवायें' आदि में बाँटा गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग में खण्ड या उप-खण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों, यथा- 'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में बाँटा गया है। राजस्व व्यय के इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों, जैसे- 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' आदि में बाँटा गया है। पूँजीगत व्यय अनुभाग को सात खण्डों, यथा- 'सामान्य सेवायें', 'सामाजिक सेवायें', 'आर्थिक सेवायें', 'लोक-ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' तथा 'आकस्मिकता निधि में अंतरण' में उपविभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे विधायिका विधि द्वारा स्थापित करती है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य के समेकित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे डालकर की जाती है। वर्ष 2018-19 के लिए बिहार सरकार की आकस्मिकता निधि ₹350 करोड़ है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर या न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य जैसे-अल्प बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। राज्य सरकार के साथ उपलब्ध निवल रोकड़ शेष को भी लोक लेखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा में छः खण्ड शामिल हैं, यथा- 'लघु बचत', 'भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष'। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में उपविभाजित किया गया है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।


3. सरकारी लेखे एक छः स्तरीय वर्गीकरण के अधीन दर्शाए जाते हैं; यथा-मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (चार प्रकृति), विस्तृत शीर्ष (दो) तथा विषय शीर्ष (दो)। मुख्यशीर्ष सरकार के कार्यों को, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों को, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को तथा विषय शीर्ष व्यय के उद्देश्य/विषय को दर्शाते हैं।

4. लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति सम्मिलित है (31 मार्च 2019 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	-	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	-	राजस्व व्यय
4000	-	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	-	पूँजीगत व्यय (लोक- ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)
7999	-	आकस्मिकता निधि में विनियोजन
8000	-	आकस्मिकता निधि
8001-8999	-	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों का उल्लेख करता है। वित्त लेखे में आँकड़ों को निवल स्तर पर दर्शाया जाता है अर्थात्, वसूलियों के लिए व्यय में कटौती के रूप में लेखांकन के बाद। यह प्रक्रिया विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों के लिए मांग में तथा विनियोग लेखे में वर्णन से भिन्न है, जहाँ व्यय को सकल रूप में दर्शाया जाता है।

6. लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:



ख. वित्त लेखे में क्या सन्निहित होते हैं

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किए जाते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की निर्देशिका, 13 विवरणियाँ जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना प्रदान करते हैं, लेखे पर टिप्पणियाँ तथा लेखे पर टिप्पणियों का एक परिशिष्ट सन्निहित होता है। **खण्ड I** में 13 विवरणियों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण:** यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है।
2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण:** यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा- समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि' तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल ऋण तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है।
9. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण :** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है।

10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्ताशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
11. **दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार:** यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है।

वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।

खण्ड II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।
16. **लघु शीर्षवार तथा उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के स्कीम (राज्य स्कीम, राज्य स्कीम को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम तथा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम) एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है।
17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी, जो वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतये राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण :** यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है।

19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है।
20. **सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है।
21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए शेषों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।
22. **उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण** : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग-II में 13 परिशिष्ट होते हैं जिसमें विभिन्न विषयों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य संपोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय स्कीमों एवं राज्य स्कीमों से संबंधित स्कीमवार व्यय आदि सम्मिलित होता है। लेखे में इनके ब्योरे को उपशीर्ष स्तर या नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष से नीचे) तक दर्शाया जाता है और प्रायः इन्हें वित्त लेखे में दर्शाए नहीं जाते हैं। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय सूची' पर दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों सहित विवरणियों का पठन, राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है।

ग. सहज तालिका

निम्न अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणियों को खण्ड II में विस्तृत विवरणियों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (उन परिशिष्टों को जिनका संक्षिप्त विवरणियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, नीचे नहीं दिखाए गए है):

मानदण्ड	संक्षिप्त विवरण (खण्ड-I)	विस्तृत विवरण (खण्ड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	-
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2,10	-	III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिये गए ऋण तथा अग्रिम	1, 2, 7	18	-
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 6	17	-
सरकार द्वारा कम्पनियों एवं निगमों में निवेश आदि	8	19	-
रोकड़	1, 2, 12, 13	-	-
लोक लेखा शेष एवं तत्संबंधी निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	-
गारंटियाँ	9	20	-
योजनाएँ	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएँ) V (स्कीम व्यय)

घ. आवर्ती समायोजन तथा पुस्त समायोजन

कतिपय संव्यवहार जो लेखे में दृष्टिगोचर होते हैं, लेखांकन के समय रोकड़ वास्तविक लेन-देन में सम्मिलित नहीं होते हैं। इनमें से कुछ संव्यवहार स्वयं लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों (जैसे-कोषागारों, प्रमण्डलों आदि) में घटित होते हैं। उदाहरणार्थ, वेतन से सभी कटौतियों के समायोजन से संबंधित संव्यवहारों (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूलियाँ आदि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्षा (उस विभाग से संबंधित) के नामे डालकर राजस्व/कर्ज/लोक लेखा प्राप्तियों को पुस्त समायोजनों द्वारा अभिलेखित करते हैं। इसी प्रकार 'शून्य विपत्र' जहाँ धन का अंतरण समेकित निधि एवं लोक लेखा के बीच होता है, लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर होने वाले गैर-रोकड़ संव्यवहारों को दर्शाता है।

इसके अलावे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार के लेखे में निम्न प्रकार के आवर्ती समायोजनों एवं पुस्त समायोजनों को जिनका विस्तृत वर्णन लेखे पर टिप्पणियों के अनुबंध (खण्ड I) तथा संबंधित विवरणियों के पाद टिप्पणियों में दर्शाए जाते हैं, को पूर्ण किया जाता है।

आवर्ती समायोजनों तथा पुस्त समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

- (1) निधियों का सृजन/समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में निधियों के अंशदान का समायोजन, जैसे-राज्य आपदा रिस्पाँस निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि आदि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा में लेखे के जमा शीर्षों को जमा करना।
- (3) राज्य सरकार समूह बीमा योजना तथा सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहाँ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज को नामे कर के तथा मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि एवं मुख्य शीर्ष 8011-बीमा तथा पेंशन निधि को जमा करके किया जाता है।
- (4) भारत सरकार के योजना के अधीन कर्ज माफी समायोजन केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित है। इस प्रकार के समायोजन (जहाँ केन्द्रीय कर्जों को मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवायें को जमा करके मुख्य शीर्ष 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम में प्रति इन्द्राज करते हुए) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण शीर्ष दोनों को प्रभावित करता है।

ङ. पूर्णन

वित्त लेखे खण्ड I एवं II में जहाँ कहीं ₹0.01 करोड़/लाख का अंतर है, पूर्णन के कारण है।

संक्षिप्त विवरणी

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियाँ ¹	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
रोकड़			20,837.31	22,081.56
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	234.65	185.73
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	758.52	341.97
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	14,791.80	17,395.63
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	157.12	46.90
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश ²		22	4,895.22	4,111.33
पूँजीगत व्यय		16	2,05,175.42	1,84,117.17
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश		8	28,327.00	23,037.29
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय			1,76,848.42	1,61,079.88
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)			0.00	0.00
कर्ज तथा उधार		18	20,814.33	21,169.18
सिविल अग्रिम		21	249.96	153.11
उचंत तथा विविध शेष ³		21	4,724.71	4,379.57
प्रेषण शेष		21	1,120.36	1,196.41
प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई ⁴			0.00	0.00
जोड़ :			2,52,922.09	2,33,097.00

¹ परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आँकड़ें संचयी हैं। कृपया “लेखे पर टिप्पणियाँ” अनुभाग में टिप्पणी 1(ii) भी देखी जाय।

² उद्दिष्ट निधियों से निवेश पूँजीगत व्यय में शामिल नहीं हैं।

³ इस विवरण के पंक्ति मद ‘उचंत तथा विविध शेष’ में मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत ₹4,724.19 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 8679-अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे के अंतर्गत ₹ 0.52 करोड़ शामिल है।

⁴ व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई या प्राप्तियों से व्यय की संचयी अधिकाई एक दूसरे से भिन्न है और वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय /राजस्व हानि नहीं है।

विवरण 1: वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹ करोड़ में)

देयतायें	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
उधार (लोक ऋण)			1,26,145.06	1,14,706.68
(i) आंतरिक ऋण		17	1,14,359.69	1,04,524.76
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		17	11,785.37	10,181.92
योजनेतर कर्ज		17	0.58	0.58
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	191.29	191.29
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज		17	1.01	1.01
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए कर्ज		17	0.53	0.53
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज		17	49.78	57.74
अन्य कर्ज		17	11,542.18	9,930.77
अन्तर्राज्यीय परिशोधन		12	74.01	74.01
आकस्मिकता निधि (संग्रह)		21	350.00	350.00
लोक लेखा पर देयताएं			47,671.49	46,181.42
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि		21	9,088.69	8,810.89
(ii) जमा		21	33,661.25	33,232.88
(iii) आरक्षित निधि		21	4,921.55	4,137.65
(iv) प्रेषण शेष			0.00	0.00
(v) उचत तथा विविध शेष			0.00	0.00
व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई ⁵		12	78,681.53	71,784.89
जोड़ :			2,52,922.09	2,33,097.00

⁵ आँकड़ा ₹ 78,681.54 करोड़, कुल पूँजीगत तथा अन्य व्यय और निधियों के प्रमुख स्रोतों का निवल परिणाम है। विस्तृत ब्योरा विवरणी 12 में दिया गया है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण				
	2018-19	2017-18			
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग-अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	1,31,793.45	1,17,446.74	राजस्व व्यय (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	1,24,896.81	102,623.73
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित) (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	29,408.14	23,136.49	वेतन¹ (संदर्भ. विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-1)	19,922.57	17,731.41
करेतर राजस्व (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	4,130.56	3,506.74	सहायता अनुदान² (संदर्भ. विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)	51,764.28	43,358.73
			सब्सिडी (संदर्भ. परिशिष्ट-II)	8,323.97	5,023.06
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	1,371.94	1,577.24	सामान्य सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4 एवं 15)	30,217.20	25,892.99
अन्य (संदर्भ. विवरण 3)	2,758.62	1,929.50	पेंशन (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	16,027.75	14,293.48
			ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवा (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	10,855.04	9,747.40
			अन्य (संदर्भ. विवरण 4-ख)	3,334.41	1,852.11
संघीय कर/शुल्क में हिस्सा (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	73,603.13	65,083.38	सामाजिक सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)	9,537.04	3,622.57
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)	5,127.84	6,990.94
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	24,651.62	25,720.13	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन³ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 15)	3.91	4.03
राजस्व घाटा	0.00	0.00	राजस्व आधिक्य	6,896.64	14,823.01

¹ एक समेकित आँकड़ा के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रभागों (सामान्य सेवायें- ₹8,473.82 करोड़, सामाजिक सेवायें- ₹48,747.27 करोड़ तथा आर्थिक सेवायें- ₹22,789.73 करोड़) के वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान संबंधी आँकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में दर्शाये गये 'सामान्य', 'सामाजिक' तथा 'आर्थिक सेवाओं' के प्रभागाधीन व्यय के अन्तर्गत वेतन, सब्सिडी तथा सहायता अनुदान सम्मिलित नहीं हैं (पाद टिप्पणी-2 में व्याख्यायित)।

² राज्य सरकार द्वारा सार्वधिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान दिया जाता है, जिसे ऊपर एक पंक्ति मद के रूप में दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले शुल्क, करों के क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन से भिन्न है जिसे "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" के रूप में अलग से पंक्ति मद में दिखलाया गया है।

³ मुख्य शीर्ष 3604 के अंतर्गत लेखांकित राशि।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं सवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	सवितरण	
	2018-19	2017-18
अनुभाग-ब : पूँजी		
पूँजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3 एवं 14)	0.00	0.00
		पूँजीगत व्यय (संदर्भ. विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)
		सामान्य सेवाएँ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)
		सामाजिक सेवाएँ ⁴ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)
		आर्थिक सेवाएँ ⁵ (संदर्भ. विवरण 4-क एवं 16)
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ (संदर्भ. विवरण 3, 7 एवं 18)	1,825.40	21.89
		सवितरित ऋण तथा अग्रिमों (संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)
		सामान्य सेवाएँ (संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)
		सामाजिक सेवाएँ (संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)
		आर्थिक सेवाएँ (संदर्भ. विवरण 4- क, 7 एवं 18)
		अन्य (संदर्भ. विवरण 7)
लोक ऋण प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)	18,668.20	13,169.42
		लोक ऋण की वापसी (संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)
आंतरिक ऋण⁶ (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) (संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)	16,134.42	11,770.77
		आंतरिक ऋण⁶ (बाजार ऋण, एन०एस०एस०एफ० आदि) (संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)
भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ. विवरण 3, 6 एवं 17)	2,533.78	1,398.65
		भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ. विवरण 4- क, 6 एवं 17)
अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)	0.00	0.00
		अन्तर्राज्यीय निपटान लेखा (निवल)
समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (संदर्भ. विवरण 3)	1,52,287.05	1,30,638.05
		समेकित निधि से कुल व्यय (संदर्भ. विवरण 4)
समेकित निधि में घाटा	(-)2,368.39	(-)5,788.96
		समेकित निधि में आधिक्य
		0.00
		0.00

⁴ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सामाजिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4215 से संबंधित वेतनादि पर व्यय क्रमशः ₹5.96 करोड़ एवं ₹ 3.40 करोड़ सन्निहित है।

⁵ वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए आर्थिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515, 4700 एवं 4711 से संबंधित वेतनादि पर व्यय क्रमशः ₹41.37 करोड़, ₹4213.26 करोड़, ₹0.15 करोड़ एवं ₹0.13 करोड़ सन्निहित है।

⁶ पुनर्भुगतान से संबंधित राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन०एस०एस०एफ०) के लेन-देनों की राशि क्रमशः वर्ष 2017-18 में ₹1,768.75 करोड़ एवं 2018-19 के लिए ₹1,819.02 करोड़ का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

विवरण 2: प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	संवितरण	
	2018-19	2017-18
भाग - II आकस्मिकता निधि		
आकस्मिकता निधि (संदर्भ. विवरण 21)	0.00	0.00
भाग - III लोक लेखा ⁷		
अल्प बचत (संदर्भ. विवरण 21)	2,291.43	1,844.09
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ (संदर्भ. विवरण 21)	2,214.54	1,414.92
जमा (संदर्भ. विवरण 21)	50,631.85	42,984.01
अग्रिम (संदर्भ. विवरण 21)	264.37	195.91
उचत तथा विविध ⁸ (संदर्भ. विवरण 21)	5,18,922.19	3,88,812.38
प्रेषण (संदर्भ. विवरण 21)	11,697.63	9,862.58
कुल प्राप्तियाँ लोक लेखा (संदर्भ. विवरण 21)	5,86,022.01	4,45,113.89
लोक लेखा में घाटा	0.00	0.00
आदि रोकड़ शेष	46.90	114.90
रोकड़ में वृद्धि	110.22	0.00
अल्प बचत (संदर्भ. विवरण 21)		
आरक्षित तथा निक्षेप निधियाँ (संदर्भ. विवरण 21)		
जमा (संदर्भ. विवरण 21)		
अग्रिम (संदर्भ. विवरण 21)		
उचत तथा विविध ⁸ (संदर्भ. विवरण 21)		
प्रेषण (संदर्भ. विवरण 21)		
कुल व्यय लोक लेखा (संदर्भ. विवरण 21)		
लोक लेखा में अधिशेष		
अंत रोकड़ शेष		
रोकड़ में कमी		

⁷ कृपया विस्तृत सूचना के लिए भाग II के विवरणी 21 का संदर्भ लें।

⁸ 'उचत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' शामिल हैं, यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि। इन 'अन्य लेखे' के कारण आँकड़े वृहद रूप में प्रकट होते हैं। विस्तृत विवरण खण्ड II के विवरणी 21 में देखी जा सकती है।

विवरण 2 का अनुबंध क
रोकड़ शेषों और रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2019 को अन्तशेष	1 अप्रैल 2018 को आदिशेष
(क) सामान्य रोकड़ शेष-		
(1) रिजर्व बैंक के पास जमा	157.12	46.90
(2) रोकड़ शेष से किए गए निवेश लेखा	14,791.80	17,395.63
जोड़- (क)	14,948.92	17,442.53
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों यथा वन तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	234.65	185.73
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	758.52	341.97
(3) उद्दिष्ट निधियों से निवेश	4,895.22	4,111.33
जोड़-(ख)	5,888.39	4,639.03
जोड़- (क) और (ख)	20,837.31	22,081.56

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य:- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत कोषागार में रोकड़ एवं भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों के पास जमा तथा पारगमन में प्रेषण सम्मिलित है, जैसा पिछले पृष्ठ पर बताया गया है। 'रिजर्व बैंक के पास जमा शीर्ष' के अन्तर्गत शेष वित्तीय वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को चित्रित करता है। समस्त रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषागारों, विभागों में रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष में से निवेश/आरक्षित निधि आदि 'रिजर्व बैंक में जमा' में जोड़कर की गई हैं।

'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष उस शेष का द्योतक है जो 11 अप्रैल 2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर्राज्यीय मुद्रा निपटारे को लेखा में शामिल कर लेने के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 सरकारी लेखा के अनुसार निकलता है।

'रिजर्व बैंक में जमा' लेखे में प्रदर्शित राशि {₹157.12 करोड़ (नामे)} एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित राशि {₹109.73 करोड़ (जमा)} के बीच ₹47.39 करोड़ (जमा) का अन्तर था। यह अन्तर समाधान के अधीन है।

2. दैनिक रोकड़ शेष:- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को बैंक के पास ₹1.73 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। जब रोकड़ शेष करार के इस न्यूनतम शेष से किसी दिन कम पड़ जाता है तब इस कमी को समय-समय पर सामान्य एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट से पूरा किया जाता है। दैनिक रोकड़ शेष की गणना रिजर्व बैंक के द्वारा 14 दिवसीय कोषागार विपत्र के साथ सूचित लेन-देन (एजेंसी बैंकों के द्वारा सूचित रिजर्व बैंक के काउन्टर पर अन्तर्राज्यीय लेन-देन एवं कोषागार लेन-देन) के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष को 14 दिवसीय कोषागार विपत्र, यदि कोई हो, के परिपक्व मूल्य जोड़ने के बाद, अधिक शेष, यदि कोई हो न्यूनतम रोकड़ शेष के संधारण के पश्चात् कोषागार विपत्र में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि इस प्रकार प्राप्त निवल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम हो अथवा जमा शेष हो एवं उस दिन को परिपक्व कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो रिजर्व बैंक पुनः 14 दिवसीय कोषागार विपत्र को बट्टे पर जारी कर इस कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन के लिए कोई 14 दिवसीय कोषागार विपत्र न हो तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट हेतु आवेदन करती है।

3. अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं:- राज्य सरकार के लिए 1 अप्रैल 2006 से ₹425.00 करोड़ के संधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा है। सरकार के प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिमों को देने के संबंध में बैंक ने भी सहमति दी है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की निर्धारित सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में न्यूनतम शेष बिना कोई अग्रिम लिए बरकरार रखा गया।

4. रोकड़ शेष में से ₹14,791.80 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें 31 मार्च 2019 को भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (₹14,787.15 करोड़) और अन्य राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ (₹4.65 करोड़) है। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गये निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹909.08 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

5. राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया गया

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)	
विवरण		वास्तविकी	
		2018-19	2017-18
	I-कर तथा करेतर राजस्व		
क.	कर राजस्व		
क. 1	स्वकर राजस्व	29,408.14	23,136.49
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,584.24	8,298.10
	राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी)	15,288.06	6,746.96
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,188.61	3,725.66
	माल तथा यात्री कर	398.74	1,644.85
	वाहन कर	2,085.94	1,599.51
	भू-राजस्व	476.80	778.65
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	125.05	86.52
	राज्य उत्पाद शुल्क	(-).9.63	(-).3.43
	अन्य	270.33	259.67
क. 2	करों के निवल आगमों का हिस्सा	73,603.13	65,083.38
	निगम कर	25,596.84	19,935.56
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	18,850.99	16,834.16
	सेवा कर	673.31	7,379.29
	संघ उत्पाद शुल्क	3,467.28	6,867.50
	एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)	1,449.80	6,572.00
	सीमा शुल्क	5,217.40	6,570.00
	केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)	18,166.79	925.48
	धन कर	9.40	(-).0.60
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	133.31	0.00
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	38.01	(-).0.01
	जोड़ - क	1,03,011.27	88,219.87
ख.	करेतर राजस्व		
	ब्याज प्राप्तियाँ	1,371.94	1,577.24
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,560.65	1,082.67
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	558.75	202.53
	लोक सेवा आयोग	34.09	130.11
	पुलिस	30.41	86.04
	सड़क तथा सेतु	118.06	66.74
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	66.61	54.53
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	62.37	48.61
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	29.11	29.41
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46.80	25.84
	मुख्य सिंचाई	36.92	22.22
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.85	21.47
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	21.42	18.40
	मध्यम सिंचाई	15.85	17.27
	श्रम तथा रोजगार	14.89	16.79
	जलापूर्ति तथा सफाई	11.41	16.63
	जेल	14.77	15.94

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

		(₹ करोड़ में)		
विवरण		वास्तविकी		
		2018-19	2017-18	
ख.	मत्स्य पालन	13.17	12.02	
	फसल कृषि-कर्म	14.99	11.93	
	लोक निर्माण कार्य सहकारिता	25.39	9.83	
	शहरी विकास	20.46	8.62	
	आवास	0.94	7.43	
	लघु सिंचाई	3.47	6.57	
	नागर विमानन	11.40	5.21	
	विविध सामान्य सेवाएं	6.70	4.12	
	पर्यटन	3.73	3.45	
	लाभांश तथा लाभ	1.75	1.62	
	पशुपालन	13.67	1.34	
	सूचना तथा प्रचार	0.65	0.76	
	भूमि सुधार	0.30	0.40	
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.28	0.22	
	सड़क परिवहन	0.08	0.17	
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.19	0.17	
	उद्योग	0.12	0.12	
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	0.13	0.12	
	सिविल पूर्ति	0.06	0.07	
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.11	0.05	
	परिवार कल्याण	0.05	0.05	
	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.02	
	डेरी विकास	0.02	0.00	
		0.00	0.01	
	जोड़ - ख		4,130.56	3,506.74
	ग.	II- भारत सरकार से अनुदान		
अनुदान				
केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान				
योजनेतर अनुदान		अन्य अनुदान	0.00	(-)-5.00
राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		अन्य अनुदान	(-)-2.82	(-)-2.20
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान				
केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान				
वित्त आयोग अनुदान		राज्य आपदा रिस्पांस निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	101.82	489.56
		अन्य अनुदान	4,673.38	4,035.50
राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान		संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान	0.72	20.81
		केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	101.49	25.20
		अन्य अनुदान	3,454.31	7,845.00
जोड़ - ग		24,651.62	25,720.13	
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)		1,31,793.45	1,17,446.74	

विवरण 3: प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

विवरण		(₹ करोड़ में)			
		वास्तविकी			
		2018-19	2017-18		
III- पूँजीगत, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ					
घ.	पूँजीगत प्राप्तियाँ				
	विनिवेश से प्राप्तियाँ	0.00	0.00		
	अन्य	0.00	0.00		
जोड़ - घ		0.00	0.00		
ड.	लोक ऋण प्राप्तियाँ				
	आंतरिक ऋण	16,134.42	11,770.77		
		बाजार कर्ज	14,300.00	10,000.00	
		आर०बी०आई० से डब्ल्यू०एम०ए० ¹	0.00	0.00	
		बंध पत्र	0.00	0.00	
		वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	1,834.42	1,770.77	
		राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	
		अन्य कर्ज	0.00	0.00	
		केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2,533.78	1,398.65	
			योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
			राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
			केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	7.19
			राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	2,533.78	1,391.46
	जोड़ - ड		18,668.20	13,169.42	
च.	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (वसूलियाँ) ²	1,825.40	21.89		
छ.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00		
समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ ³ (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)		1,52,287.05	1,30,638.05		

¹ डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम

² विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 18 में हैं।

³ विस्तृत ब्यौरे खण्ड I के विवरण 7 तथा खण्ड II के विवरण 14 तथा 17 में हैं।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण		राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग				
	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	169.72	0.00	0.00	169.72
	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	19.02	0.00	0.00	19.02
	मंत्रिपरिषद	24.77	0.00	0.00	24.77
	न्याय प्रशासन	970.23	0.00	0.00	970.23
	निर्वाचन	122.51	0.00	0.00	122.51
क.2	राजकोषीय सेवाएं				
	भू-राजस्व	518.90	0.00	0.00	518.90
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	64.55	0.00	0.00	64.55
	राज्य उत्पाद शुल्क	97.54	0.00	0.00	97.54
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	(-)0.07 ¹	0.00	0.00	(-)0.07
	वाहन कर	55.89	0.00	0.00	55.89
	राज्य वस्तु और सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार	113.87	0.00	0.00	113.87
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.27	0.00	0.00	1.27
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	3.54	4.28	0.00	7.82
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	783.90	0.00	0.00	783.90
	व्याज अदायगियों	10,071.14	0.00	0.00	10,071.14
क.3	प्रशासनिक सेवाएं				
	लोक सेवा आयोग	98.72	0.00	0.00	98.72
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	260.85	0.00	0.00	260.85
	जिला प्रशासन	467.57	0.00	0.00	467.57
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	84.04	0.00	0.00	84.04
	पुलिस	7,046.94	445.33	0.00	7,492.27
	जेल	403.24	0.00	0.00	403.24
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15.16	0.50	0.00	15.66
	लोक निर्माण कार्य	558.12	1,781.73	0.00	2,339.85
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	768.64	1,079.48	0.00	1,848.12
क.4	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	16,027.75	0.00	0.00	16,027.75
	विविध सामान्य सेवाएं	(-)56.79 ¹	0.00	0.00	(-)56.79
	जोड़ - सामान्य सेवाएं	38,691.02	3,311.32	0.00	42,002.34
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति				
	सामान्य शिक्षा [#]	26,688.96	1,056.22	492.00	28,237.18
	तकनीकी शिक्षा	238.13	0.00	0.00	238.13
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	53.28	0.00	0.00	53.28
	कला तथा संस्कृति	43.16	0.00	0.00	43.16

¹ ऋणात्मक आँकड़े अधिक भूगतान की वसूलियों के कारण हैं।

[#] सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं और कला तथा संस्कृति के लिए राजस्व व्यय हेतु अलग-अलग मुख्य शीर्ष है, किन्तु पूँजीगत परिव्यय के लिए ऊपर लिखित राजस्व व्यय मुख्य शीर्षों के लिए एक ही मुख्य शीर्ष है। अतएव उक्त सभी कार्यकारी मुख्य शीर्षों से संबंधित व्यय की कुल राशि को एक ही पूँजीगत मुख्य शीर्ष (4202) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,427.11	1,145.71	0.00	6,572.82
परिवार कल्याण	745.00	0.00	0.00	745.00
ख.3 जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
जलापूर्ति तथा सफाई	5,387.28	1,485.37	0.00	6,872.65
आवास	5,470.59	231.21	0.00	5,701.80
शहरी विकास	3,063.56	0.00	0.00	3,063.56
ख.4 सूचना तथा प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	187.28	0.00	0.00	187.28
ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,164.39	27.21	0.00	2,191.60
ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
श्रम तथा रोजगार और कोशल विकास	517.05	0.00	0.00	517.05
ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,127.47	73.51	0.00	5,200.98
पोषण	1,486.52	0.00	0.00	1,486.52
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,607.14	0.00	0.00	1,607.14
ख.8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएं	4.54	41.99	0.00	46.53
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	72.85	0.00	0.00	72.85
जोड़ - सामाजिक सेवाएं	58,284.31	4,061.22	492.00	62,837.53
ग आर्थिक सेवाएं				
ग.1 कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप				
फसल कृषि-कर्म	1,667.80	54.56	0.00	1,722.36
मृदा तथा जल संरक्षण	119.05	0.00	0.00	119.05
पशुपालन	365.29	6.16	0.00	371.45
डेरी विकास	118.70	0.00	0.00	118.70
मछली पालन	73.85	0.00	0.00	73.85
वानिकी तथा वन्य प्राणी	314.77	31.12	0.05	345.94
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	356.25	0.17	0.00	356.42
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	374.19	0.00	0.00	374.19
सहकारिता	241.55	12.58	800.00	1,054.13
अन्य कृषि कार्यक्रम	4.37	0.00	0.00	4.37
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	908.42	0.00	0.00	908.42
ग्राम रोजगार	1,027.72	0.00	0.00	1,027.72
भूमि सुधार	3.48	0.00	0.00	3.48
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	9,416.39	960.40	0.00	10,376.79

विवरण 4: व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क - प्रयोजनवार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूँजीगत	कर्ज तथा उधार	कुल
ग.3 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	501.87	636.98	0.00	1,138.85
मध्यम सिंचाई	0.00	(-)05.07 ¹	0.00	(-)5.07
लघु सिंचाई	428.20	170.21	0.00	598.41
कमान क्षेत्र विकास	34.34	0.00	0.00	34.34
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	395.23	1,243.88	0.00	1,639.11
ग.4 ऊर्जा				
बिजली	6,909.68	5,035.36	156.38	12,101.42
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	13.35	0.00	0.00	13.35
ग.5 उद्योग तथा खनिज				
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	59.20	2.00	0.00	61.20
उद्योग	751.76	0.00	0.00	751.76
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	29.42	13.84	0.00	43.26
दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	0.00	81.83	0.00	81.83
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	0.00	0.03	0.00	0.03
ग.6 परिवहन				
नागर विमानन	3.51	0.00	0.00	3.51
सड़क तथा सेतु	1,696.02	5,263.69	0.00	6,959.71
सड़क परिवहन	1,095.51	8.55	0.00	1,104.06
अन्य परिवहन सेवाएं	0.34	3.00	0.00	3.34
ग.7 सामान्य आर्थिक सेवाएं				
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	93.38	0.00	0.00	93.38
पर्यटन	29.12	42.01	0.00	71.13
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	54.59	0.00	0.00	54.59
सिविल आपूर्ति	738.45	0.00	0.00	738.45
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं में निवेश	0.00	123.00	0.00	123.00
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	91.77	1.41	0.00	93.18
जोड़ - आर्थिक सेवाएं	27,917.57	13,685.71	956.43	42,559.71
घ सहायता अनुदान तथा अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3.91	0.00	0.00	3.91
ङ लोक ऋण				
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	6,299.49	0.00	6,299.49
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	930.33	0.00	930.33
च ऋण तथा अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	0.00	22.13	22.13
जोड़ - सहायता अनुदान तथा अंशदान, लोक ऋण एवं कर्ज तथा पेशगियाँ	3.91	7,229.82	22.13	7,255.86
छ अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ - समेकित निधि व्यय	1,24,896.81	28,288.07	1,470.56	1,54,655.44

¹ ऋणात्मक आँकड़े अधिक भूगतान की वसूलियों के कारण हैं।

विवरण 4: व्यय का विवरण

ख- प्रकृतिवार व्यय

क्रम सं०	विषयवार व्यय	2018-2019		
		राजस्व	पूँजी	जोड़
1	सहायक अनुदान	51,764.28	0.00	51,764.28
2	निर्माण (मुख्य कार्य)	3.48	19,266.24	19,269.72
3	वेतन	19,922.57	45.82 ^s	19,968.39
4	पेंशन	16,038.06	0.00	16,038.06
5	ब्याज	10,071.23	0.00	10,071.23
6	निवेश	0.00	5,289.71	5,289.71
7	सब्सिडी	8,323.97	0.00	8,323.97
8	उधार की वापसी	0.00	7,229.82	7,229.82
9	लघु कार्य	2,540.05	150.56	2,690.61
10	छात्रवृत्ति	2,433.03	0.00	2,433.03
11	सामग्री तथा आपूर्ति	2,172.01	2.06	2,174.07
12	वाणिज्यिक तथा विशेष सेवायें	2,580.07	8.65 ^s	2,588.72
13	कार्यालय व्यय	1,529.13	3.61 ^s	1,532.74
14	मशीनरी तथा उपस्कर	183.91	230.21	414.12
15	मजदूरी	923.72	0.00	923.72
16	ऋण तथा अग्रिम	0.00	1,470.56	1,470.56
17	यात्रा व्यय	198.80	0.22 ^s	199.02
18	प्रकाशन तथा प्रचार	220.49	0.00	220.49
19	अन्य प्रशासनिक व्यय	151.86	0.00	151.86
20	पोशाक एवं परिधान	177.02	0.08 ^s	177.10
21	किराया, दर तथा शुल्क	80.57	0.06 ^s	80.63
22	मोटर वाहन	86.90	0.00	86.90
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	24.17	0.02 ^s	24.19
24	शस्त्र और गोला बारूद	43.29	0.00	43.29
25	पुरस्कार	6.41	0.00	6.41
26	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3.91	0.00	3.91
27	गुप्त सेवा व्यय	4.00	0.00	4.00
28	पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेन्ट (पी०ओ०एल०)	0.59	0.00	0.59
29	अन्य	6,949.61	186.92	7,136.53
30	घटाएं- अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-)1,536.32	(-)4,125.91	(-)5,662.23
	जोड़	1,24,896.81	29,758.63	1,54,655.44

^s कार्यभारित स्थापना पर व्यय किया गया है ।

(समेकित निधि)

(₹ करोड़ में)

2017-18			2016-17		
राजस्व	पूँजी	जोड़	राजस्व	पूँजी	जोड़
43,358.73	0.00	43,358.73	36,209.34	0.00	36,209.34
13.28	20,865.81	20,879.09	10.29	20,499.36	20,509.65
17,731.41	47.33	17,778.74	15,743.85	40.19	15,784.04
14,299.89	0.00	14,299.89	12,514.52	0.00	12,514.52
9,140.88	0.00	9,140.88	8,190.70	0.00	8,190.70
0.00	7,120.82	7,120.82	0.00	5,976.23	5,976.23
5,023.06	0.00	5,023.06	8,749.41	8.03	8,757.44
0.00	4,653.55	4,653.55	0.00	4,214.57	4,214.57
3,007.60	134.82	3,142.42	2,313.99	311.19	2,625.18
2,446.16	0.00	2,446.16	2,973.65	0.00	2,973.65
1,952.97	2.69	1,955.66	3,362.70	0.00	3,362.70
1,939.52	0.85	1,940.37	1,904.61	2.80	1,907.41
1,026.83	2.22	1,029.05	974.59	2.18	976.77
321.50	423.62	745.12	465.44	237.10	702.54
668.43	0.00	668.43	707.87	0.00	707.87
0.00	242.78	242.78	0.00	113.87	113.87
159.49	0.17	159.66	217.90	0.13	218.03
144.30	0.00	144.30	181.13	0.00	181.13
95.66	0.00	95.66	96.20	0.00	96.20
64.04	0.09	64.13	76.96	0.05	77.01
43.78	0.22	44.00	51.76	0.13	51.89
24.92	0.00	24.92	18.10	0.00	18.10
20.43	0.10	20.53	17.19	0.02	17.21
15.82	0.00	15.82	43.80	0.00	43.80
4.13	0.00	4.13	4.77	0.00	4.77
4.03	0.00	4.03	4.30	0.00	4.30
3.99	0.00	3.99	3.82	0.00	3.82
0.53	0.00	0.53	0.46	0.00	0.46
5,236.90	702.63	5,939.53	1,423.57	331.54	1,755.11
(-)4,124.55	(-)394.42	(-)4,518.97	(-)1,495.74	(-)200.55	(-)1,696.29
1,02,623.73	33,803.28	1,36,427.01	94,765.18	31,536.84	1,26,302.02

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
क.	सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.53	279.51	4.28	283.79	179.74
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	269.43	2,581.47	445.33	3,026.80	65.29
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.46	0.50	2.96	0
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,665.26	6,150.62	1,781.73	7,932.35	6.99
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	828.39	5,541.43	1079.48	6,620.91	30.31
4075	विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.00 ¹	0.00	0.00	0
	जोड़ : क. सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	2,764.61	14,555.49	3,311.32	17,866.81	19.78
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
	(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,518.70	5,749.44	1,056.22	6,805.66	(-)30.45
	जोड़ - (क)	1,518.70	5,749.44	1,056.22	6,805.66	(-)30.45
	(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	564.96	5,292.67	1145.71	6,438.38	102.79
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	35.48	0.00	35.48	0
	जोड़ - (ख)	564.96	5,328.15	1145.71	6,473.86	102.79
	(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा					
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,763.58	9,039.03	1,485.37	10,524.40	(-)15.78
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	168.96	599.73	231.21	830.94	36.84
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	150.27	0.00	150.27	0
	जोड़ - (ग)	1,932.54	9,789.03	1,716.58	11,505.61	(-)11.17
	(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	8.80	0.00	8.80	0
	जोड़ - (घ)	0.00	8.80	0.00	8.80	0

¹ इस शीर्ष के अंतर्गत ₹ 20,000 का ही लेखांकन किया गया था ।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ड)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	30.10	476.70	27.21	503.91	(-)9.60
	जोड़ - (ड)	30.10	476.70	27.21	503.91	(-)9.60
(च)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	103.75	850.43	73.51	923.94	(-)29.15
	जोड़ - (च)	103.75	850.43	73.51	923.94	(-)29.15
(छ)	अन्य सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	108.29	954.25	41.99	996.24	(-)61.22
	जोड़ - (छ)	108.29	954.25	41.99	996.24	(-)61.22
	जोड़ : ख. सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	4,258.34	23,156.80	4,061.22	27,218.02	(-)4.63
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों का पूँजीगत लेखा					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	55.65	264.29	54.56	318.85	(-)1.96
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	14.30	0.00	14.30	0
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	2.91	6.16	9.07	0
4404	डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	13.81	0.00	13.81	0
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.91	0.00	1.91	0
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	9.37	131.86	31.12	162.98	232.12
4408	खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय	(-)1.38	1,106.50	0.17	1,106.67	(-)112.32
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.78	0.00	0.78	0
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	134.50	687.43	12.58	700.01	(-)90.65
4435	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	26.61	0.00	26.61	0
	जोड़ - (क)	198.14	2,250.40	104.59	2,354.99	(-)47.21

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(ख)	ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	6,387.66	41,287.29	960.40	42,247.69	(-)84.96
	जोड़ - (ख)	6,387.66	41,287.29	960.40	42,247.69	(-)84.96
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1248.29	8,397.72	636.98	9,034.70	(-)48.97
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	(-)0.02	7,344.52	(-)5.07 ²	7,339.45	25250.00
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	129.72	2,115.61	170.21	2,285.82	31.21
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.58	0.00	0.58	0
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1287.50	9,983.69	1,243.88	11,227.57	(-)3.39
	जोड़ - (घ)	2,665.49	27,842.12	2,046.00	29,888.12	(-)23.24
(ङ)	ऊर्जा का पूँजीगत लेखा					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6,931.11	24,997.42	5,035.36	30,032.78	(-)27.35
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.50	0.00	1.50	0
	जोड़ - (ङ)	6,931.11	24,998.92	5,035.36	30,034.28	(-)27.35
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	10.44	175.32	2.00	177.32	(-)80.84
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	20.00	29.87	13.84	43.71	(-)30.80
4855	उर्वरक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	1.36	0.00	1.36	0
4857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	9.00	0.00	9.00	0
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.88	0.00	0.88	0
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	79.56	315.61	81.83	397.44	2.85
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	54.86	0.00	54.86	0
4875	अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	0.00	0.24	0.00	0.24	0
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूँजीगत परिव्यय	0.48	1,743.31	0.03	1,743.34	(-)93.75
	जोड़ - (च)	110.48	2,330.45	97.70	2,428.15	(-)11.57

²ऋणात्मक शेष पूँजीगत लेखे में वसूलियों के कारण हैं।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्णन	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वृद्धि (+) / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6	7
(छ)	परिवहन का पूँजीगत लेखा					
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	26.26	398.40	0.00	398.40	(-)100.00
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,372.65	46,115.95	5,263.69	51,379.64	(-)2.03
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	3.53	114.26	8.55	122.81	142.21
5075	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	1.87	3.00	4.87	0
	जोड़ - (छ)	5,402.44	46,630.48	5,275.24	51,905.72	(-)2.35
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	76.18	545.30	42.01	587.31	(-)44.85
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूँजीगत परिव्यय	108.00	351.84	123.00	474.84	13.89
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.50	168.08	1.41	169.49	(-)68.67
	जोड़ - (ज)	188.68	1065.22	166.42	1,231.64	(-)11.80
	जोड़ : ग. आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा	21,884.00	1,46,404.88	13,685.71	1,60,090.59	(-)37.46
	जोड़ : व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	28,906.95	1,84,117.17 *	21,058.25	2,05,175.42 *	(-)27.15

*14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार का पूँजीगत व्यय (₹11,935-23 करोड़) सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2018)।

विवरण 5: प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा खण्ड-11 के विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
 2. वर्ष 2018-19 के अंत तक ₹2,05,175.42 करोड़ की कुल पूँजी परिव्यय, जिसमें संयुक्त बिहार के लिए 14 नवम्बर 2000 तक का ₹11,935.23 करोड़ का प्रगामी परिव्यय सम्मिलित है, जिसका विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखंड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2019)।
 3. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में सरकारी निवेश के ब्योरे खण्ड-11 के विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं
 4. सिंचाई योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय मुख्य शीर्ष “4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय” के अन्तर्गत दिखाये गये हैं। चार योजनाएँ जिसे वाणिज्यिक घोषित की गई है, उनके वित्तीय परिणाम खण्ड-11 के परिशिष्ट VIII में दिखाये गये हैं ।
 5. 2 अप्रैल 1973 को बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना के साथ अन्न आपूर्ति योजना निगम को स्थानांतरित कर दी गई है, स्थानांतरित परिसम्पत्तियों और दायित्वों के मूल्य को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
 6. सरकार के निवेश-वर्ष 2018-19 में सरकार ने ₹5,289.71 करोड़ का निवेश किया। सांविधिक निगमों में ₹5.00 करोड़, सरकारी कंपनियों में ₹5,236.61 करोड़, ज्वांट स्टोक कंपनी एवं पार्टनरशिप में ₹43.00 करोड़ तथा सहकारी संस्थाओं में ₹5.10 करोड़ निवेश किया गया। वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में विभिन्न संस्थाओं के हिस्सा पूँजी में सरकार द्वारा क्रमशः ₹15,916.47 करोड़, ₹23,037.29 करोड़ तथा ₹28,327.00 करोड़ का कुल निवेश किया गया।
- 14 नवम्बर 2000 तक संयुक्त बिहार के कुल निवेश (₹655.94 करोड़) का विभाजन वर्तमान तक उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है (मार्च 2019)।
अंतिम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त लाभांश/ब्याज (₹ करोड़ में)
2016-17	3.73
2017-18	1.34
2018-19	13.67

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण ¹		(₹ करोड़ में)					
क.	लोक ऋण	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत	कुल दायित्व का प्रतिशत
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	1,04,524.76	16,134.42	6,299.49	1,14,359.69	9.41	67.70
	बाजार कर्ज	73,897.14	14,300.00	3,396.93	84,800.21	14.75	50.20
	आर०बी०आई० से डब्ल्यू०एम०ए० ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बंध पत्र	2,350.70	0.00	0.00	2,350.70	0.00	1.39
	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	6,819.80	1,834.42	1,083.54	7,570.68	11.01	4.48
	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	21,449.67	0.00	1,819.02	19,630.65	(-)8.48	11.62
	अन्य कर्ज	7.45	0.00	0.00	7.45	0.00	0.00
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	10,181.92	2,533.78	930.33	11,785.37	15.75	6.98
	योजनेतर कर्ज	0.58	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00
	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज*	191.29	0.00	0.00	191.29	0.00	0.11
	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
	डब्ल्यू०एम०ए०	42.96	0.00	0.00	42.96	0.00	0.03
	1984-85 के पूर्व के कर्ज	3.91	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए कर्ज	57.74	0.00	7.96	49.78	(-)13.79	0.03
	राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	9,883.90	2,533.78	922.37	11,495.31	16.30	6.81
	जोड़ : क. लोक ऋण	1,14,706.68	18,668.20	7,229.82	1,26,145.06	9.97	74.68
ख.	अन्य दायित्व						
	लोक लेखे						
	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	8,810.89	2,291.43	2,013.63	9,088.69	3.15	5.38
	ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0.00	1,430.66	1,430.65	0.01	0.00	0.00
	ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	26.32	783.88	783.88	26.32	0.00	0.02
	ब्याज सहित जमा	86.44	1,141.27	1,081.03	146.68	69.69	0.09
	ब्याज रहित जमा	33,146.44	49,490.58	49,122.45	33,514.57	1.11	19.84
	जोड़ : ख. अन्य दायित्व	42,070.09	55,137.82	54,431.64	42,776.27	1.68	25.32
	जोड़ : लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	1,56,776.77	73,806.02	61,661.46	1,68,921.33	7.75	100.00

¹ विस्तृत लेखा खण्ड-11 में विवरण 17 में है।

² डब्ल्यू०एम०ए०: अर्थोपाय अग्रिम

टिप्पणी : ऋण शोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन कार्य इत्यादि के ब्योरे के लिए, इस विवरण के अगले पृष्ठ पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ को देखा जाय।

विवरण 6: उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- ऋण शोधन की व्यवस्था :** 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2008-09 में एक निक्षेप निधि सृजित की गई है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2018-19 तक ₹ 4,895.12 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।
- अल्प बचत निधि से कर्ज :** डाकघर में 'अल्प बचत योजनाओं' एवं 'लोक भविष्य निधि' की वसूली में से कर्ज को राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच 3:1 अनुपात में हिस्सेदारी के रूप में बाँटा जा रहा है। अल्प बचत वसूलियों से कर्ज को विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय अल्प बचत निधि' का निर्माण किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान कोई नया कर्ज नहीं प्राप्त किया गया केवल ₹1,819.02 करोड़ के कर्ज की अदायगी वर्ष के दौरान की गई। वर्ष के अन्त तक शेष बकाया ₹19,630.65 करोड़ था जो 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण का 15.56 प्रतिशत था।
- भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम, बाजार ऋण इत्यादि :** भारत सरकार से प्राप्त कर्जों का ब्योरा खण्ड-II के विवरण 17 में दिये गये हैं।
- ऋण शोधन कार्य**

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज- वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व तथा निवल ब्याज प्रभार जिसे राजस्व से पूरा किया गया, निम्नवत थे:-

	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)			
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,35,233.75	1,23,517.57	11,716.18
(ख) अन्य दायित्व	33,687.58	33,259.20	428.38
जोड़ (i)	1,68,921.33	1,56,776.77	12,144.56
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर	10,058.51	9,042.29	1,016.22
(ख) अन्य दायित्वों पर	12.63	11.49	1.14
जोड़ (ii)	10,071.14	9,053.78	1,017.36
(iii) घटाएं			
(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	220.77	0.48	220.29
(ख) रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त किया गया ब्याज	909.08	799.82	109.26
जोड़ (iii)	1,129.85	800.30	329.55
(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	8,941.29	8,253.48	687.81
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में सकल ब्याज {मद(ii)} की प्रतिशतता	7.64	7.71	(-)0.07
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में निवल ब्याज {मद(iv)} की प्रतिशतता	6.78	7.03	2013.63

अन्य प्राप्तियाँ तथा समायोजनों में इसके अतिरिक्त ₹242.09 करोड़ 'विविध' लेखा पर ब्याज सम्मिलित थे। अगर इन्हें घटा दिया जाय तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹8,699.20 करोड़ होगा जो राजस्व का 6.60 प्रतिशत आता है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹13.66 करोड़ विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर लाभांश के रूप में प्राप्त किया गया।

- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन :** वर्ष 2018-19 के दौरान ₹783.88 करोड़ की राशि ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजित किया गया।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 1: ऋण और अग्रिमों का सारांश - ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल, 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2019 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय/अकादमी संस्थान	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	386.85	0.00	0.00	0.00	386.85	0.00	63.40
आवास बोर्ड	127.47	0.00	0.00	0.00	127.47	0.00	6.40
सरकारी कम्पनियाँ	5,411.63	648.43	330.26	0.00	5,729.80	318.17	3,273.51
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	1,102.72	800.00	601.23	0.00	1,301.49	198.77	632.37
पंचायती राज संस्थायें	57.63	0.00	0.00	0.00	57.63	0.00	23.54
सांविधिक निगम	13,376.82	0.00	874.81	0.00	12,502.01	(-874.81)	4,485.87
सरकारी सेवक	85.42	22.13	19.10	0.00	88.45	3.03	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
अन्य	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	553.03
जोड़	21,169.17	1,470.56	1,825.40	0.00	20,814.33	(-354.84)	9,038.12

निम्नलिखित ऋण के मामलों को "शाश्वत ऋण" के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं०	राशि	ब्याज दर
"सूचना उपलब्ध नहीं"					

* समेकित आँकड़े शीर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण 7: सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिमों का विवरण

भाग 2 : ऋण और अग्रिमों का सारांश- क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल, 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2019 को शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) (6-2)	बकायों में ब्याज भुगतान
1	2	3	4	5		6	8
सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाएं	485.84	492.00	0.00	0.00	977.84	492.00	86.94
आर्थिक सेवाएं	20,597.06	956.43	1,806.30	0.00	19747.19	(-)849.87	8,951.18
सरकारी कर्मचारी	85.42	22.13	19.10	0.00	88.45	3.03	0.00
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00
जोड़	21,169.17	1,470.56	1,825.40	0.00	20,814.33	(-)354.84	9,038.12

भाग 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2019 को बकाया राशि*			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है*	31 मार्च 2019 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम	19.54	63.40	82.94	2001-02	386.85
आवास बोर्ड	4.75	6.40	11.15	2001-02	127.47
सरकारी कम्पनियाँ	3,273.63	3,273.51	6,547.14	2001-02	5,729.80
सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	735.57	632.37	1,367.94	2001-02	1,301.49
पंचायती राज संस्थायें	17.47	23.54	41.01	2001-02	57.63
सांविधिक निगम	3,587.35	4,485.87	8,073.22	2001-02	12,502.01
अन्य	216.90	553.03	769.93	2001-02	615.00
जोड़	7,855.21	9,038.12	16,893.33		20,720.25

* वर्ष 2000-01 तक बकाया राशि ₹3,446.27 करोड़ (मूलधन ₹1,522.50 करोड़ तथा ब्याज ₹1,923.77 करोड़) विवरणी उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया है

विवरण 8: सरकार के निवेशों का विवरण

2017-18 तथा 2018-19 में विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संस्था का नाम	2018-19			2017-18		
		संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज
1	सांविधिक निगम	3	110.63	0.00	3	105.63	0.00
2	ग्रामीण बैंक	1	30.19	0.00	1	30.19	0.00
3	सरकारी कम्पनियाँ	46	27,479.22	11.05	45	22,242.61	1.05
4	अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ और साझेदारी	12	96.68	0.00	10	53.68	0.00
5	सहकारी संस्था एवं स्थानीय निकाय	17	610.28	0.29	17	605.18	0.29
जोड़		79	28,327.00	11.34 *	76	23,037.29	1.34

* कोषागार अनुसूचियों में ₹2.35 करोड़ का लाभांश का विवरण उपलब्ध नहीं था।

विवरण 9: सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के सेक्टर वार विवरण और विभिन्न सेक्टर में 31 मार्च 2019 को बकाया गारंटी की रकम नीचे दिखायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सेक्टर (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अन्दर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में बकाया		वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष 2018-19 के दौरान विलोपन (माँग को छोड़कर)	वर्ष 2018-19के दौरान लागू		वर्ष 2018-19 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूलधन	ब्याज	प्राप्त योग्य	प्राप्त	
	1	2		3		4	5	6	7	8		9	10	11
1.	बिजली (*)	12,166.91	39.42	3,717.26	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.26	37.36	*	*	*
2.	सहकारिता (*)	1,268.84	308.00	461.43	10.55	41.37	7.14	0.00	0.00	495.66	12.29	0.00	0.00	*
3.	सिंचाई (*)	4.93	0.00	0.00	0.00	*	*	*	*	0.00	0.00	*	*	*
4.	सड़क तथा परिवहन (*)	2,000.00	0.00	43.00	0.00	*	43.00	*	0.00	0.00	*	*	*	*
5.	राज्य वित्तीय निगम	183.57	*	127.47	29.97	*	*	*	*	127.47	29.97	*	*	*
6.	शहरी विकास तथा आवास	90.00	*	17.21	3.51	*	*	*	*	17.21	3.51	*	*	*
7.	अन्य आधारभूत संरचनाएं (*)	33.76	*	16.06	6.56	*	*	*	*	16.06	6.56	*	*	*
8.	कोई अन्य (*)	5,086.09	0.00	861.25	14.79	2,500.00	2,500.00	*	*	1,024.22	14.29	2.64	2.64 ^{\$}	*
	जोड़	20,834.10	347.42	5,243.68	102.74	2,541.37	2,550.14	0.00	0.00	5,397.88	103.98	2.64	2.64	*

नोट: राज्य सरकार द्वारा गारंटी परिहार निधि का सृजन अब तक नहीं किया गया है।

^{\$} बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम ने जनवरी 2019 में ₹ 2,63,87,500.00 गारंटी शुल्क के रूप में जमा किया है।

* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) सहायता अनुदान का नकद रूप में भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदेयी का नाम/श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि			कॉलम सं० (2) के अंतर्गत विमुक्त कुल निधि में से संपत्ति के सृजन हेतु आवंटित निधि			सहायता अनुदान के रूप में विमुक्त कुल निधि	
		2018-19			2018-19			2017-18	
		(1)			(2)			(3)	(4)
		स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़	स्कीम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध	जोड़		
1.	पंचायती राज संस्थाएँ	680.41	6,837.20	7,517.61	0.00	124.50	124.50	7,572.94	
	(i) जिला परिषद्	628.86	1,119.77	1,748.63	0.00	35.00	35.00	2,611.73	
	(ii) पंचायत समितियाँ	0.00	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	4,899.97	
	(iii) ग्राम पंचायत	51.55	5,466.07	5,517.62	0.00	89.50	89.50	61.24	
2.	शहरी स्थानीय निकाय	1,221.30	1,671.26	2,892.56	1,208.65	739.74	1,948.39	1,794.52	
	(i) नगर निगम	292.62	811.45	1,104.07	291.42	338.80	630.22	1,036.22	
	(ii) नगरपालिका / नगर परिषद्	136.20	518.33	654.53	130.62	240.70	371.32	283.90	
	(iii) अन्य	792.48	341.48	1,133.96	786.61	160.24	946.85	474.40	
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	24.62	168.84	193.46	2.62	0.00	2.62	109.00	
	(i) सरकारी कंपनियाँ	22.00	133.34	155.34	0.00	0.00	0.00	15.55	
	(ii) सांविधिक निगम	2.62	35.50	38.12	2.62	0.00	2.62	93.45	
4.	स्वायत्त संस्थाएँ	37,691.91	3,468.75	41,160.66	11,934.70	13.63	11,948.33	33,868.65	
	(i) विश्वविद्यालय	522.98	1,382.39	1,905.37	464.94	3.63	468.57	4,683.27	
	(ii) विकास प्राधिकरण	5,832.90	27.87	5,860.77	4,915.56	0.00	4,915.56	1,786.76	
	(iii) सहकारी संस्थाएँ	525.31	0.00	525.31	105.90	0.00	105.90	352.02	
	(iv) अन्य	30,810.72	2,058.49	32,869.21 ¹	6,448.30	10.00	6,458.30	27,046.60	
5.	गैर सरकारी संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	
	(i) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	
	कुल जोड़	39,618.24	12,146.05	51,764.29	13,145.97	877.87	14,023.84	43,358.73	

1 मध्याह्न भोजन योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि पर किए गए व्यय भी सम्मिलित हैं।

विवरण 10: सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(ii) वस्तु रूप में दिये गये सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदेयी का नाम/श्रेणी	वस्तु के रूप में कुल सहायता अनुदान का मूल्य	वस्तु के रूप में सहायता अनुदान जो पूँजीगत परिसंपत्ति के स्वरूप में हो, का मूल्य	2017-18
		2018-19		
1. पंचायती राज संस्थाएँ				
	(i) जिला परिषद्	0.00	0.00	0.00
	(ii) पंचायत समितियाँ	0.00	0.00	0.00
	(iii) ग्राम पंचायत	0.00	0.00	0.00
2. शहरी स्थानीय निकाय				
	(i) नगर निगम	0.00	0.00	0.00
	(ii) नगरपालिका / नगर परिषद्	0.00	0.00	0.00
	(iii) अन्य	0.00	0.00	0.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
	(i) सरकारी कंपनियाँ	0.00	0.00	0.00
	(ii) सांविधिक निगम	0.00	0.00	0.00
4. स्वायत्त संस्थाएँ				
	(i) विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
	(ii) विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
	(iii) सहकारी संस्थाएँ	0.00	0.00	0.00
	(iv) अन्य	0.00	0.00	0.00
5. गैर सरकारी संगठन				
	(i) अन्य	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़		0.00	0.00	0.00

नोट: उपरोक्त आँकड़े राज्य सरकार के संबंधित विभागों से उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित हैं।

विवरण 11: दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	वास्तविकी					
	2018-19			2017-18		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	11,064.97	1,13,831.84	1,24,896.81	9,942.96	92,680.77	1,02,623.73
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	0.00	21,058.25	21,058.25	0.00	28,906.95	28,906.95
लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिमों, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अधीन भुगतानों और आकस्मिकता निधि को अंतरण (क)	7,229.82	1,470.56	8,700.38	4,653.55	242.78	4,896.33
जोड़ :	18,294.79	1,36,360.65	1,54,655.44	14,596.51	1,21,830.50	1,36,427.01
(क) आँकड़े निम्नवत् परिगणित किए गए हैं:						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	6,299.49	0.00	6,299.49	3,841.01	0.00	3,841.01
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा उधार	930.33	0.00	930.33	812.54	0.00	812.54
च. कर्ज तथा उधार*						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	956.43	956.43	0.00	224.55	224.55
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	0.00	22.13	22.13	0.00	18.23	18.23
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़ : (क)	7,229.82	1,470.56	8,700.38	4,653.55	242.78	4,896.33
(i) 2017-18 तथा 2018-19 में हुए कुल व्यय से प्रभारित एवं दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् थी:-						
वर्ष	कुल व्यय की प्रतिशतता					
	प्रभारित	दत्तमत				
2017-18	10.70	89.30				
2018-19	11.83	88.17				

*विस्तृत लेखा खण्ड-11 में विवरण 18 में दिए गए हैं।

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
सामान्य सेवाएं	14,909.01	3,405.49	18,314.50
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5,846.90	1,066.31	6,913.21
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5,537.33	1,145.81	6,683.14
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	9,802.73	2,031.80	11,834.53
सूचना तथा प्रसारण	8.98	0.00	8.98
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	527.20	27.68	554.88
समाज कल्याण तथा पोषण	971.31	83.53	1,054.84
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,070.60	47.51	1,118.11
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,279.37	110.12	2,389.49
ग्रामीण विकास	41,713.38	3,364.00	45,077.38
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	27,960.89	3,035.90	30,996.79
ऊर्जा	24,998.92	5,035.36	30,034.28
उद्योग तथा खनिज	2,343.77	97.70	2,441.47
परिवहन	47,365.35	5,566.52	52,931.87
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,078.18	166.43	1,244.61
सकल पूँजीगत व्यय	1,86,413.92	25,184.16	2,11,598.08
घटाएं-अधिक भुगतान की वसूलियाँ	(-2,295.65)	(-4,125.91)	(-6,421.56)
निवल पूँजीगत व्यय	1,84,118.27	21,058.25	2,05,176.52
ऋण तथा अग्रिम			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4.78	492.00	496.78
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	467.24	0.00	467.24
समाज कल्याण तथा पोषण	13.70	0.00	13.70
अन्य	0.12	0.00	0.12

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	2,847.26	198.82	3,046.08
ग्रामीण विकास	59.86	0.00	59.86
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	55.61	0.00	55.61
ऊर्जा	15,745.26	(-)173.86	15,571.40
उद्योग तथा खनिज	814.49	(-)0.01	814.48
परिवहन	891.12	(-)874.81	16.31
सामान्य आर्थिक सेवाएं	183.46	0.00	183.46
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	85.42	3.02	88.44
विविध कार्यों के लिए कर्ज	0.85	0.00	0.85
जोड़ : ऋण तथा अग्रिम	21,169.17	(-)354.84	20,814.33
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	(-)74.01	0.00	(-)74.01
जोड़ : पूँजीगत तथा अन्य व्यय	2,05,213.43	20,703.41	2,25,916.84
घटाएं -			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	0.00	0.00	0.00
विकास निधियों, आरक्षित निधियों आदि से अंशदान	1.10	0.00	1.10
निवल पूँजीगत तथा अन्य व्यय	2,05,212.33	20,703.41	2,25,915.74
निधियों के प्रमुख स्रोत			
2018-19 के लिए राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	0.00	6,896.64	0.00
जोड़ें-वापसी/विनिवेश खाते में समायोजन	0.00	0.00	0.00
ऋण-			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	1,04,524.76	9,834.93	1,14,359.69
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	10,181.92	1,603.45	11,785.37
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	8,810.89	277.80	9,088.69
जोड़ : ऋण	1,23,517.57	11,716.18	1,35,233.75

(₹)

विवरण 12: राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	350.00	0.00	350.00
आरक्षित निधि	26.32	0.01	26.33
जमा तथा अग्रिम	33,079.77	331.52	33,411.29
उचत तथा विविध (सरकारी लेखे में संवृत एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा से भिन्न राशि)	(-4,907.27)	(-810.61)	(-5,717.88)
प्रेषण	(-1,196.41)	76.05	(-1,120.36)
जोड़ : अन्य दायित्व	27,352.41	(-403.03)	26,949.38
जोड़ : ऋण एवं अन्य दायित्व	1,50,869.98	11,313.15	1,62,183.13
घटाएं-रोकड़ शेष	46.90	110.22	157.12
घटाएं-निवेश	17,395.63	(-2,603.83)	14,791.80
जोड़- 2018-19 के दौरान सरकारी लेखे में संवृत राशि	0.00	0.00	0.00
निधियों का निवल प्रावधान	1,33,427.45	13,806.76	1,47,234.21

(₹)

(क) 31 मार्च 2019 को निवल पूँजी तथा अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹78,681.53 करोड़ का अंतर था, जिसकी व्याख्या नीचे की गई है:-

1. 31 मार्च 2018 को संचित राजस्व अधिशेष	65,980.02
2. वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व अधिशेष	6,896.64
3. बिहार एवं पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का रोकड़ शेष अंतरण) अधिनियम, 1956 के अधीन पश्चिम बंगाल को अंतरित शेषों का निवल प्रभाव, लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन, अशुद्धियों के सुधार एवं लेखाओं के वर्गीकरण का पुनर्गठन तथा 2000-01 (1 अप्रैल 2000 से 14 नवम्बर 2000) की अवधि तक सरकारी लेखे में संवृत शेषों के फलस्वरूप प्रोफार्मा रूप से पृथक शेष/व्यय	(-185.80)
4. झारखण्ड राज्य को अंतरित रोकड़ शेष (दिनांक 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 का लेखा)	28.73
5. झारखंड राज्य हेतु विभाजित आंतरिक ऋण	2,211.70
6. झारखंड राज्य हेतु विभाजित केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,750.24
जोड़	78,681.53

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

क. 31 मार्च 2019 को शेषों का सार निम्नवत है :-

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का खंड	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	
1,26,493.88 *	क से घ और ठ का भाग (केवल मुख्य शीर्ष 8680)	सरकारी लेखा	
	ड	लोक ऋण	1,26,145.06
20,814.33	च	ऋण तथा अग्रिम	
		अन्तर्राज्यीय परिशोधन	74.01
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	350.00
		लोक लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9,088.69
	ञ	आरक्षित निधि	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	0.01
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	4,921.53
		सकल शेष	4,921.54
4,895.22		निवेश	
	ट	जमा तथा अग्रिम	
		(i) ब्याज वाली जमा	146.68
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	33,514.57
249.96		(iii) अग्रिम	
	ठ	उचन्त तथा विविध	
14,791.80		निवेश	
5,717.88		अन्य मदें (निवल)	
1,120.36	ड	प्रेषण	
157.12	ढ	रोकड़ शेष ^(क)	
1,74,240.55		जोड़	1,74,240.55

* इस आँकड़े को किस प्रकार परिगणित किया गया है, के लिए कृपया अगले पृष्ठ पर 'ख' देखी जाय।

(क) "रिजर्व बैंक जमा के संबंध में, जो सरकार के रोकड़ शेष का एक घटक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित तथा लेखा में प्रदर्शित राशि के बीच में अन्तर था। विस्तृत ब्यौरे के लिए पृष्ठ 7 पर विवरणी 2 के अनुबंध क के पाद टिप्पणी (1) का संदर्भ लिया जा सकता है।"

विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार

ख. सरकारी लेखा : सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्तकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते, एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे “सरकारी लेखा” कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है।

इसमें लोक-ऋण, ऋण तथा अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा और पेशगियाँ, उचत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहाँ सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समायोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अन्तर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अन्तर्गत हिसाब में नहीं लाया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखा के नामे निवल राशि निम्नानुसार परिगणित किया गया है-

नामे	विवरण	जमा (₹करोड़ में)
1,12,332.27	क. 1 अप्रैल 2018 को सरकारी लेखा में डेबिट की राशि	
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	1,31,793.45
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
1,24,896.81	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
21,058.25	ङ. व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
	च. उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखा)	
	छ. सरकारी लेखे में डेबिट की गई राशि	
	31 मार्च 2019 को	1,26,493.88
2,58,287.33	जोड़	2,58,287.33

(i) कई मामलों में “प्राप्ति, सवितरण, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा” (खण्ड II के विवरण संख्या 14, 15, 17, 18 तथा 21) के प्रतिवेदित विवरण के अन्तःशेष में असमाधानित अन्तर होता है तथा जिसे अलग रजिस्टर में दिखाया जाता है अथवा अन्य अभिलेख लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य के लिए संधारित किया जाता है। विसंगतियों के निराकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं अभिस्वीकृति के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी अभिस्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) मामले जहाँ शेषों की अभिस्वीकृति में विलम्ब किया गया है और जहाँ सम्बद्ध राशि विचाराधीन है, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 1 में अंकित किए गये हैं।

(iv) मामले जहाँ शेषों के समाधान के लिए ब्योरे/दस्तावेज प्रतीक्षित हैं, खण्ड-II के परिशिष्ट VII के तालिका 2 में विस्तार से वर्णित हैं।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

(i) **आस्तित्व एवं लेखा अवधि** : वित्त लेखे 2018-19 बिहार सरकार के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के संव्यवहारों को दर्शाते हैं तथा राज्य सरकार के 76 कोषागारों, 245 सिंचाई प्रमण्डलों को मिलाकर 610 लोक कार्य प्रमण्डलों, 48 वन प्रमण्डलों द्वारा प्रत्येक माह में प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं और भारत के रिजर्व बैंक के सूचनाओं पर आधारित होते हैं। मासिक प्रस्तुति में विलम्ब नगण्य थे और वर्ष के अंत तक कोई लेखे छोड़े नहीं गए थे।

(ii) **लेखे का आधार** : लेखे, कुछ पुस्त समायोजनों को छोड़कर (अनुबंध-क) लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियाँ तथा वित्तीय परिसम्पत्तियाँ जैसे कि सरकारी निवेश आदि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाए जाते हैं। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किए जाते हैं।

लेखा अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति लाभों पर किए गए व्यय को लेखे में प्रतिबिम्बित किया गया है, परन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों अर्थात् विगत एवं वर्तमान में सेवारत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों पर होने वाले भुगतान संबंधी दायित्वों को इस लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं** : बिहार सरकार के लेखे का संधारण भारतीय रुपये (₹) में किया जाता है।

(iv) **लेखे का स्वरूप** : संघ और राज्यों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 150 के अधीन उसी रूप में रखा जाता है जिस स्वरूप में राष्ट्रपति महोदय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में व्यवहृत शब्द “स्वरूप” का विस्तृत अर्थ होता है, इसलिए नहीं कि इसमें लेखाओं के रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण सम्मिलित है, बल्कि इसलिए भी कि यह शीर्ष चयन का आधार होता है जिसमें संव्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है।

(v) **पूँजी एवं राजस्व के बीच वर्गीकरण**: पूँजीगत परिव्यय मुख्यतः स्थायी प्रकृति के परिसम्पत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण/बढ़ाने या स्थायी दायित्वों को कम करने के उद्देश्य पर किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय सहित ईकाई के चालन तथा इसके परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर हुए

अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा संसूचित भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएस)2 के अनुसार, सहायक अनुदान के रूप में किया गया व्यय प्रदाता के पुस्तक में राजस्व व्यय तथा प्राप्तकर्ता के पुस्तक में राजस्व प्राप्ति के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

(vi) **अधिक अदायगियों तथा वापसियों की वसूलियों का लेखांकन** : पूर्व के वर्षों से संबंधित अधिक अदायगियों की वसूलियों को विनियोग लेखे के उद्देश्य से सकल व्यय प्राप्त करने तथा वित्त लेखे के लिए, उन्हे व्यय में कमी के रूप में, वर्ष के दौरान निवल व्यय प्राप्त करने हेतु, राजस्व व्यय के लिए संबंधित मुख्य/उप-मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष “911-घटाएं अधिक अदायगियों की वसूलियाँ” के अंतर्गत तथा पूंजीगत व्यय के लिए संबंधित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्ष के अधीन उप शीर्ष “0099, 0199, 0499 एवं 0699” के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है।

राजस्व की वापसियों को उनके संग्रह वर्ष के निरपेक्ष वर्तमान राजस्व में घटाते हुए लिया जाता है तथा करेतर राजस्व के संबंध में संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन लघु शीर्ष “900- घटाएं वापसियाँ” तथा कर राजस्व के मामले में संबंधित लघु शीर्ष के अधीन उप शीर्ष “0099-घटाएं वापसियाँ” के अंतर्गत दर्शाया गया है ताकि कर का निवल संग्रह निर्धारित किया जा सके।

(vii) **रोकड़ शेष** : सरकार का रोकड़ शेष इसके सभी तीनों भागों यथा संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के रोकड़ शेष का समावेश है। न्यूनतम रोकड़ शेष जो बरकरार रखना है एवं रोकड़ शेष का निवेश सहित अधिक सूचना विवरण संख्या 2 के अनुबंध के अंतर्गत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ के रूप में दिया गया है।

2. लेखे की संपूर्णता

(i) **राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का सीधे स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर परिचालित निधि)**

भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पर्याप्त निधि सीधे स्थानान्तरित किया गया। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹5,678.88 करोड़ विमुक्त किया। विस्तृत ब्यौरा वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट-VI में है।

(ii) वचनबद्ध देयताएँ

12वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि सात मदों पर कुछ अतिरिक्त सूचनाएँ विवरणी के रूप में, वर्तमान नकद लेखांकन पद्धति को अधिक निर्णय सूचक बनाने में समर्थ करने हेतु संलग्न किया जाना आवश्यक है। प्रतिबद्ध देयताएँ उन सात मदों में से एक हैं। वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट- XII में प्रतिबद्ध देयताओं में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गये ब्योरे को शामिल किया गया है।

3. लेखे की विशेषताएँ

(i) अविभाजीत एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) का हस्तांतरण और अग्रिम विभाजन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी स्वीकृत्यादेश के अनुसार, आईजीएसटी के अग्रिम विभाजन के रूप में ₹1,940.76 करोड़ प्राप्त हुये और चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ₹1,449.80 करोड़ बिहार सरकार को हस्तान्तरित किया गया जिसका वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार लेखांकन किया गया।

(ii) लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज-‘अन्य प्राप्तियाँ’ एवं ‘अन्य व्यय’

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय को मात्र तभी व्यवहार में लाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरूत्साहित किया जाना है क्योंकि यह अस्पष्ट लेखे को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व एवं पूँजी के 12 मुख्य शीर्षों के अधीन ₹120.65 करोड़ लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल (राजस्व+पूँजी) व्यय (₹1,45,955.06 करोड़) का 0.08 प्रतिशत है। इसी प्रकार, लेखे के 43 राजस्व मुख्य शीर्षों के अधीन ₹1,460.41 करोड़ (सहायता अनुदान को छोड़कर) लघु शीर्ष ‘800-अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,31,793.45 करोड़) का 1.11 प्रतिशत है। लघु शीर्ष क्रमशः 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत (संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन दर्ज कुल व्यय का 10 प्रतिशत से अधिक) प्राप्तियों एवं व्यय के एक बड़े हिस्से के उदाहरणों को अनुबंध-ख में दर्शाया गया है।

(iii) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 के अनुसार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अदृष्टिगत व्यय को पूरा करने के लिए संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से, सेवा मुख्य शीर्षों को नामे करते हुए राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत होते हैं। इसके सापेक्ष उन्हें अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों सहित विस्तृत

आकस्मिक (डीसी) विपत्रों को, आकस्मिक विपत्र की निकासी के छः माह के अंदर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के प्रस्तुत करने में विलम्ब अथवा लम्बे समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाना, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के अधीन हुए व्यय के अपारदर्शिता को प्रस्तुत करता है। दिनांक 31 मार्च 2019 को लंबित डीसी विपत्रों की विवरणी नीचे दी गई है:

तालिका-1 : समायोजन हेतु लंबित एसी विपत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित डीसी विपत्रों की संख्या	राशि
2016-17 तक	12,823	2,591.75
2017-18	1,259	2,593.20
2018-19	1,413*	585.60
जोड़	15,495	5,770.55

* 1,413 एसी विपत्रों में से 1,380 एसी विपत्र जिकी राशि ₹553.20 करोड़ है वे 31 मार्च 2019 के बाद देय होंगे।
(स्रोत- भीएलसी डाटा बेस)

लंबित एसी विपत्र का बड़ा भाग संबंधित है:-

तालिका-1.1 : असमायोजित शीर्षवार एसी विपत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	एसी विपत्रों की संख्या	राशि	कुल योग के सापेक्ष प्रतिशत
1.	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,528	1,538.46	26.66
2.	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	262	878.98	15.23
3.	2202-सामान्य शिक्षा	1,446	522.81	9.06
4.	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	58	211.87	3.67
5.	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	72	205.38	3.56
6.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	161	200.17	3.47
7.	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,189	170.03	2.95
8.	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	107	168.63	2.92
9.	2852- उद्योग	77	143.74	2.49
10.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	255	121.79	2.11
11.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	502	116.55	2.02
12.	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	135	110.48	1.91
13.	5054- सड़कों और सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	64	108.87	1.89
14.	2403-पशु-पालन	216	100.65	1.74

(स्रोत- भीएलसी डाटा बेस)

2018-19 में ₹631.50 करोड़ राशि के 1,453 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र आहरित किए गए थे जिसमें से केवल मार्च 2019 में ₹296.97 करोड़ की राशि 1,140 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से (2018-19 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 47.03 प्रतिशत) आहरित किये गये थे और इसमें से ₹2.16 करोड़ की निकासी 28 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान 1,453 आकस्मिक विपत्रों में से, ₹266.19 करोड़ के 68 आकस्मिक विपत्र (2018-19 में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से आहरित कुल राशि का 42.15 प्रतिशत) विभिन्न पूंजी शीर्षों के अंतर्गत आहरित किये गये। मार्च माह में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के माध्यम से अत्यधिक व्यय इंगित करता है कि निकासी मुख्यतः बजट प्रावधानों को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रकट करता है।

(iv) अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

बिहार कोषागार संहिता के नियम 177 के अनुसार, कोषागार से किसी प्रकार की राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह तत्काल भुगतान के लिए अपेक्षित न हो। यदि विशेष परिस्थिति में धन की अग्रिम निकासी की जाती है, तो इस प्रकार से निकासी की गई राशि के अव्ययित शेष को आगामी विपत्र में कम निकासी करके चालान के माध्यम से, और प्रत्येक मामले में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले, जिसमें उस राशि की निकासी की गई है, कोषागार को वापस लौटा देना चाहिए। 31 मार्च 2019 को इन अनुदेशों के आलोक में ₹184.52 करोड़, जिसे कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लंबित थे। इसके अतिरिक्त, ₹25.46 करोड़, कार्य प्रमण्डलों में अग्रदाय के रूप में पड़े थे। विवरणी अनुबंध-ग में दी गयी है।

(v) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

वित्त विभाग के संकल्प सं०-एम०04-15/2009-9736/एफ(2) दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा यथा संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के अनुसार, स्वीकृति प्रदान करने वाला प्राधिकारी अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे एवं इसे अनुदान की निकासी के 18 माह के अन्दर महालेखाकार को भेजेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत किए गए सहायता अनुदान की विवरणी वित्त लेखे (खण्ड II) के परिशिष्ट III में दर्शायी गई है।

31 मार्च 2019 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति निम्नवत है:

तालिका-2: लंबित यूसी का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष (*)	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षित संख्या	राशि
2016-17 तक	1,812	19,847.73
2017-18	484	17,895.52
2018-19	157	17,661.84
जोड़	2,453	55,405.09

(* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "लंबित वर्ष" से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात)

(स्रोत- भीएलसी डाटा बेस)

31 मार्च 2019 को ₹55,405.09 करोड़ राशि के 2,453 यू.सी. लंबित थे। प्रमुख 10 चूककर्ता विभाग जिन्होंने यूसी समर्पित नहीं किया है:-

तालिका-2.1: प्रमुख चूककर्ता विभाग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग	यूसी की संख्या	राशि	कुल योग के सापेक्ष प्रतिशत
1.	शिक्षा विभाग	428	14,864.16	26.83
2.	पंचायती राज विभाग	260	13,073.14	23.60
3.	ग्रामीण विकास विभाग	75	6,579.49	11.88
4.	शहरी विकास एवं आवास विभाग	622	6,412.02	11.57
5.	समाज कल्याण विभाग	140	4,512.65	8.14
6.	एससी एवं एसटी कल्याण विभाग	64	2,035.36	3.67
7.	आपदा प्रबंधन विभाग	230	2,028.70	3.66
8.	कृषि विभाग	112	1,698.96	3.07
9.	योजना विभाग	49	1,006.34	1.82
10.	पिछड़ा/अति पिछड़ा कल्याण विभाग	33	920.84	1.66

(स्रोत- भीएलसी डाटा बेस)

निर्दिष्ट अवधियों से परे लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए अनुदान की निर्धारित अवधि के अंदर उपयोगिता के अविश्वास को दर्शाता है।

(vi) व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते में निधि का स्थानांतरण

समेकित निधि से राशि को स्थानांतरित कर व्यक्तिगत जमा खाते खोलने के लिए राज्य सरकार प्राधिकृत होती है। इस खाते का उपयोग विशेष मामलों के लिए किया जाएगा जहाँ लोकहित में तेजी से व्यय करना आवश्यक हो जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव न हो, या लघु लाभार्थियों को

बड़ी संख्या दूर-दूर तक बिखरी हुई हो जिन्हे कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष व्ययन व्यवहार्य न हो। जमा खाते के प्रशासकों द्वारा वर्ष के अंत में सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा किया जाना एवं पाँच लगातार वित्तीय वर्षों (उस वित्तीय वर्ष सहित जिसमें राशि की निकासी की गई थी) के बाद अव्ययित राशि को संबंधित सेवा शीर्ष में व्यय में कमी के द्वारा समेकित निधि को वापस कर देना अपेक्षित है।

75 कोषागारों जिनके द्वारा पी०डी० खातों के संबंध में सूचना दी गई है, में से 56 कोषागारों में ही पीडी लेखा का संधारण किया जाता है एवं शेष 19 कोषागारों ने सूचित किया है कि उनके यहाँ कोई भी पीडी खाता नहीं है। 2017-18 के दौरान, 9 कोषागारों के 9 पी०डी० खातों में ₹65.77 करोड़ पाँच लगातार वित्तीय वर्षों के पश्चात अव्ययित है (अनुबंध-घ)। वर्ष 2018-19 के दौरान, किसी भी कोषागार पदाधिकारी ने पाँच लगातार वित्तीय वर्षों से अव्ययित राशि के संबंधित सेवा शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी के रूप में संचित निधि में वापसी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

31 मार्च 2019 को बिहार में 175 पीडी खाते थे। बिहार सरकार के पत्र संख्या 11,262 दिनांक 5.10.2010 के अनुसार, तीन लगातार वर्षों से अपरिचालित पीडी खातों को बन्द किया जाना है। सरकार के उपर्युक्त निर्णय के विपरीत, ₹27.73 करोड़ शेष के 95 पीडी खाते जो पिछले तीन वर्षों से अपरिचालित हैं को बन्द नहीं किया गया है (अनुबंध-ङ)। 95 पीडी खाते में से 90 पीडी खाते का शेष शून्य है।

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 353 (बी) के अनुसार सभी स्थानीय खातों के प्रशासकों द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के जमा की स्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कोषागार अधिकारी को भेज देना होगा, जिसके जाँचोपरान्त शीघ्रतिशीघ्र प्रधान महालेखाकार को भेज दिया जायेगा। जबकि 23 पीडी खातों के प्रशासक के प्रमाण-पत्र सिर्फ 10 कोषागार द्वारा प्रधान महालेखाकार को भेजे गये हैं।

56 राज्य कोषागारों से प्राप्त 175 व्यक्तिगत जमा खाते की विवरणी निम्नवत है:

तालिका-3 : व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण

(₹ करोड़ में)

आदि शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद		अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
174	5,888.45	1	1,417.50	0	2,928.83	175	4,377.12*

* वर्ष के दौरान लेन-देन (जमा/नामे) स्तंभ 'वर्ष के दौरान वृद्धि' तथा 'वर्ष के दौरान बंद' के अंतर्गत दर्शाये गये हैं।

विवरण 21 से ₹6.05 करोड़ का अंतर समाधान के अधीन है।

(स्रोत: कोषागार द्वारा अभिसूचित)

(vii) प्राप्तियों तथा व्ययों का अपूर्ण मिलान

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के अनुसार, सभी नियंत्री अधिकारियों को अपने प्राप्तियों तथा व्ययों का मिलान महालेखाकार के साथ किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2018-19 के दौरान इस तरह के मिलान मात्र राशि ₹27,105.71 करोड़ [₹1,45,955.06 करोड़ के कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय का 18.57 प्रतिशत] तथा ₹1,15,955.43 करोड़ [₹1,31,793.45 करोड़ के कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 87.98 प्रतिशत] के ही किये गये हैं।

(viii) रोकड़ शेष में अंतर

महालेखाकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2019 को परिकल्पित रोकड़ शेष के बीच ₹47.39 करोड़ (नामे) का अंतर था। इस प्रकार के अंतर मुख्यतः अभिकरण बैंकों द्वारा गलत सूचना देने एवं मिलान नहीं किए जाने के कारण प्रकट होते हैं। अंतर मिलान के अधीन है।

(ix) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) तथा राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन

राज्य सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को निधि प्रदान करती है। चूँकि क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में प्रायः सम्पूर्ण निधि को खर्च नहीं किए जाते हैं; परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशियाँ इसके क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में ही पड़े रह जाते हैं। क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में पड़े हुए अव्ययित शेषों की सकल राशि जो सरकारी लेखे से अलग रखे जाते हैं, को तत्काल राज्य सरकार/प्रधान महालेखाकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। अतएव, लेखे में दर्शाए गए सरकार के व्यय उस सीमा तक पूर्ण नहीं है।

4. अन्य मदें

(i) (क) नयी पेंशन स्कीम

राज्य सरकार के कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 1 सितम्बर 2005 या उसके बाद हुई है वे नयी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के अधीन, कर्मचारी अपने वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंश प्रदान करता है जिसके समतुल्य राशि का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं पूर्ण राशि को राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाता है।

वर्ष के दौरान, ₹1,141.28 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-00-117-0001 के अंतर्गत जमा किया गया जिसमें ₹6.52 करोड़ ब्याज के तौर पर सरकार द्वारा जमा राशि सम्मिलित है। यह ब्याज उस राशि पर दिया गया जो एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित नहीं की गयी तथा ₹0.02 करोड़ शीर्ष 8011-00-106-0002 में जमा किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने केवल ₹1,081.26 करोड़ एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक में जमा किया तथा ₹60.04 करोड़ एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक में जमा नहीं किया गया जो कि एनपीएस के मद में जमा किया गया था। एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक को 31 मार्च 2019 तक कुल ₹188.32 करोड़ (₹41.11 करोड़ मुख्य शीर्ष 8011-00-106 के अंतर्गत तथा ₹147.21 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-00-117 के अंतर्गत) स्थानांतरित नहीं की गयी।

(ख) सेवानिवृत्ति लाभों के अधीन देयताएँ

31 अगस्त 2005 को या इसके पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए “पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों” पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान पर हुए व्यय को छोड़कर ₹15,460.21 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 12.38 प्रतिशत) था।

(ii) पेंशन दायित्व एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का प्रभाजन

बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुभाग 53 के आठवीं अनुसूची के अनुसार, 15 नवम्बर 2000 (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि से) से 31 मार्च 2001 तक एवं प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बाँटा जाएगा। सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में बिहार और झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिवों की दिनांक 18 जून 2018 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखण्ड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात अर्थात् 645.30:218.44 में बाँटा जाएगा।

बिहार सरकार 31 मार्च 2017 तक कुल प्राप्त राशि ₹1,507.74 करोड़ से ₹1,493.95 करोड़ प्राप्त कर चुकी है। बिहार सरकार द्वारा 12 मार्च 2019 को वर्ष 2017-18 के लिए ₹296.73 करोड़ का दावा झारखण्ड सरकार से किया गया। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए झारखण्ड सरकार को पेंशन दायित्व का कोई दावा नहीं किया गया है क्योंकि व्यय के अंतिम आँकड़े दोनो राज्या में अंतिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए शीर्ष “0071” के अंतर्गत आँकड़े इस हद तक न्यूनदर्शित हैं।

(iii) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 उन विधियों को उपस्थापित करता है जिनके तहत पूँजीगत अनुभाग (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) तथा भाग III लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों (रिजर्व बैंक में जमा के अलावे) को राज्यों के बटवारे की तिथि 15 नवम्बर 2000 के प्रभाव से बाँटा जाना था उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत बाँटें जाने वाली राशियों की विवरणी वित्त लेखे खण्ड II के **परिशिष्ट-XIII** में दी गई है। झारखण्ड सरकार को सुझाए गये विभाजन के कुछ मदों पर आपत्ति थी जिसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार कार्यालय द्वारा जाँचोपरांत सही कर दिया गया। इसे बिहार सरकार को सहमति/अनुमोदन के लिए 13 दिसम्बर 2018 को भेज दिया गया। राज्य सरकार की सहमति प्रतिक्षित है।

(iv) ऋण तथा अग्रिम

महालेखाकार समर्पित लेखे के आधार पर कर्ज तथा पेशगियों संबंधी आँकड़ा का समेकन करता है। ये आँकड़े संबंधित विभागों द्वारा संपुष्ट किया जाना अपेक्षित होता है।

वित्त लेखे (खण्ड II) 2018-19 के विवरण 18 में तैयार किए गए सूचना, जैसा कि ऋण तथा अग्रिमों के लिए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएस) 3 के अधीन अपेक्षित है, पूर्ण नहीं है, चूँकि इसे राज्य सरकार द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है। ऋण तथा अग्रिमों के संबंध में बकाए मूलधन एवं ब्याज संबंधी विस्तृत सूचनाएँ जिसके लेखे राज्य सरकार द्वारा संधारित किए जाते हैं, प्रतीक्षित है, क्योंकि 31 मार्च 2019 को अवशेषों की संपुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। व्यक्तिगत कर्जग्राही के शेष कर्जों, जिसके विस्तृत लेखे का संधारण महालेखाकार द्वारा किया जाता है, की संपुष्टि भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। इसे वित्त लेखे (खण्ड II) के **परिशिष्ट.VII** के **तालिका-1** में इंगित किया गया है।

(v) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(क) अपूर्ण सूचना: राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी राज्य के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व को निरूपित करता है। वित्त लेखे (खण्ड II) के विवरण 20, वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी अदायगी आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों तथा वर्ष के अंत तक बकाए कुल गारंटी का ब्यौरा प्रदर्शित करता है। यह अपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है और इस प्रकार भारत सरकार लेखा

मानकीकरण (आईजीएस)1 के अपेक्षित प्रकटीकरण को पूरा नहीं किया है। गारंटी के विवरण (विवरण 9) के अनुसार 31 मार्च 2019 को कुल बकाया गारंटी ₹5,501.86 करोड़ (मूलधन ₹5,397.88 करोड़ एवं ब्याज ₹103.98 करोड़) थी।

(ख) गारंटी मोचन निधि का सृजन नहीं करना: 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकारों से एक गारंटी परिहार निधि का गठन अपेक्षित है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा जारी किए गए गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों के भुगतान के निर्वहन हेतु किया जाए। निधि राज्य सरकार के लेखा से अलग परिचालित होता है तथा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित होता है। दिशा निर्देशों के तहत, राज्य सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाए गारंटी का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना आवश्यक होता है। प्राप्त निधि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है तथा यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष का एक भाग नहीं होता है।

राज्य सरकार ने गारंटी मोचन निधि का गठन नहीं किया है जैसा कि 12 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है। राज्य सरकार को ₹26.73 करोड़ (1 अप्रैल 2018 को ₹5,346.42 करोड़ के बकाये गारंटी का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान करना आवश्यक था, परंतु निधि का गठन नहीं होने के कारण कोई अंशदान नहीं किया गया है।

(vi) निवेश

सरकार द्वारा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा ग्रामीण बैंकों आदि में किए गए निवेश संबंधी सूचनाओं को वित्त लेखे (खण्ड II) के विवरण 19 में दर्शाया गया है। चूँकि इन आँकड़ों को राज्य के संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा मिलान नहीं किया गया है, इसलिए इसके लेखे में निहित सूचनाएँ अस्थायी है।

(vii) आरक्षित निधियाँ तथा जमा

(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ: राज्य सरकार के खाते में दो ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ हैं जिनका योग मार्च 2019 के अंत तक ₹0.94 लाख है जिसका विवरण वित्त लेखे खण्ड-11 के विवरण-21 में है।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ: राज्य सरकार के लेखे में छः ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ हैं जिनका योग मार्च 2019 के अंत तक ₹26.32 करोड़ है जिसका विवरण वित्त लेखे खण्ड-11 के विवरण-21 में है।

(ग) निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ: 2001-02 से ₹26.32 करोड़ मूल्य के आरक्षित निधि का परिचालन नहीं किया गया है। विवरणी अनुबंध-च में दर्शायी गयी है।

(घ) ब्याज दायित्वों की कम विमुक्ति: लोक लेखा के खण्ड ज और ट के अधीन क्रमशः ब्याज सहित आरक्षित निधि तथा ब्याज सहित जमा के सापेक्ष ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व हैं जिसे विमुक्त करना राज्य सरकार से अपेक्षित है। बिहार सरकार द्वारा ऐसे निधियों पर पूर्ण ब्याज दायित्वों को विमुक्त नहीं किया गया है।

तालिका-4: आरक्षित निधि एवं जमा के अंतर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

खण्ड	उप-खण्ड	ब्याज दर	2018-19 के प्रारंभ में शेष	देय ब्याज	जमा ब्याज
ज-आरक्षित निधि	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधि (एसडीआरएफ सहित)	8.50 प्रतिशत (रेपो दर 6.50 प्रतिशत से दो प्रतिशत अधिक)	0.00	0.00	0.00 ¹
ट-जमा तथा अग्रिम	ब्याज सहित जमा (सीपीएस)	8.00 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि के शेष पर देय ब्याज दर)	128.28	10.26	6.52
जोड़				10.26	6.52

¹निधि में उपलब्ध जमा ₹6,000.00 पर ₹510.00 के जरूरत के आधार पर ₹450.00 ब्याज के रूप में जमा हुए।
(स्रोत: वित्त लेखे खण्ड-11)

(ङ) समेकित निक्षेप निधि:

12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है कि राज्यों को सभी ऋणों के साथ-साथ बैंकों से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर देयताओं आदि के शोधन हेतु निक्षेप निधि की स्थापना करनी चाहिए, जिसका उपयोग ऋणों के परिहार के अलावे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जो निधि का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी है, वर्ष के प्रारम्भ में बकाए दायित्वों के न्यूनतम वार्षिक अंशदान का 0.5 प्रतिशत उपबंध करता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जो मात्र बाजार ऋण के शोधन के लिए है तथा सभी बकाए दायित्वों के लिए नहीं। यद्यपि निधि का उपयोग सरकार के बकाए दायित्वों के भुगतान हेतु वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ किया जाना था। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹783.88 करोड़ (1 अप्रैल 2018 को ₹1,56,776.77 करोड़ के बकाए दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) का विनियोग किया है।

(च) राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) : 13वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार, वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार ने “राज्य आपदा मोचन निधि” का परिचालन शुरू किया है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ, नीलाम किए गए खजाना बिल, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट तथा सहकारी बैंको के ब्याज वाले जमा में किया जाएगा, जब तक कि भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय। इसके दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधि में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में एसडीआरएफ में ₹271.50 करोड़ (₹203.63 करोड़ केन्द्रांश तथा ₹67.87 करोड़ राज्यांश) जमा किया। केन्द्र सरकार ने भी ₹ 1,159.16 करोड़ एनडीआरएफ से 2017-18 में विमुक्त किया जो 2018-19 में एसडीआरएफ में जमा किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, एसडीआरएफ के अंत शेष ₹ 6,000.00 पर राज्य सरकार ने ₹450.00 ब्याज के रूप में जमा किया। मुख्य शीर्ष 2245-05 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान ₹1,430.65 करोड़ प्राकृतिक आपदा पर व्यय हुए एवं 31 मार्च 2019 को निधि में ₹78,850.00 शेष रह गया।

(छ) केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ)

केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया निर्देशित करता है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत दर्ज) उसी समय लोक लेखा (मुख्य शीर्ष “8449 अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान” के अधीन) में राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 3054 के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। विहित सड़क कार्य पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को प्रथमतः संबंधित राजस्व या पूँजी व्यय प्रभाग (यथास्थिति मुख्य शीर्ष 3054 या 5054 के अधीन) के अंतर्गत लेखांकित किया जायेगा तथा व्यय के संबंधित मुख्य शीर्ष (यथास्थिति पूँजी या राजस्व) से व्यय में कमी के रूप में निधि से प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

वर्ष 2018-19 के दौरान बिहार सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि में ₹101.49 करोड़ प्राप्त किए जिसका निधि में सही लेखांकन किया गया। 31 मार्च 2019 को ₹84.26 करोड़ का शेष रखते हुए वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8449 अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में ₹101.49 करोड़ जमा किए गये तथा मुख्य शीर्ष 8449 अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान से ₹101.49 करोड़ नामे किए गये।

(viii) उचंत तथा प्रेषण शेष

वित्त लेखे उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अधीन निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों में बकाया 'नामे' तथा 'जमा' शेषों को पृथक रूप से परिकल्पित कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत में कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों (मुख्य शीर्ष 8658 तथा 8782 के अधीन) के सकल आँकड़ों की स्थिति **अनुबंध-छ** में इंगित किया गया है।

(ix) आकस्मिकता निधि से अग्रिम

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार, राज्य की विधायिका विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि को स्थापित करने के लिए अधिकृत है। 31 मार्च 2018 को कोष के रूप में ₹350 करोड़ जमा है। हालाँकि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधीन, 1 अप्रैल 2018 से 30 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार ने कोष को अस्थायी रूप से बढ़ाकर ₹350 करोड़ से ₹7,079.61 करोड़ कर दिया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान संबंधित मुख्यशीर्ष को नामे कर की जाती है। बिहार सरकार इस प्रक्रिया से विचलित हुई तथा इन अग्रिमों से हुए व्यय को सीधे संबंधित सेवा मुख्य शीर्षों में लेखांकित किया।

तदनुसार, चूँकि उस स्थिति में इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बजट उपलब्ध नहीं होता है, इन शीर्षों के विरुद्ध बजट से अधिकाई व्यय हो जाता है जिसे मात्र प्रतिपूर्ति के समय ही नियमित किया जाता है। इसके अलावे, चूँकि लेखांकन मुख्य शीर्ष 8000 के माध्यम से परिचालित नहीं किया जाता है, जैसा अपेक्षित है, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) आकस्मिकता निधि के अग्रिमों तथा प्रतिपूर्ति को संबद्ध नहीं कर पाता है। राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹4,353.49 करोड़ स्वीकृत किया तथा इसकी प्रतिपूर्ति अनुपूरक बजट द्वारा की।

(x) व्यय का अत्यधिक प्रवाह

राज्य सरकार ने कुल प्राप्त का 77 प्रतिशत (सहायता अनुदान को छोड़कर) फरवरी और मार्च 2019 में प्राप्त किया जबकि फरवरी और मार्च 2019 में कुल खर्च (राजस्व एवं पूँजी) का 31 प्रतिशत ही खर्च हुआ। राज्य सरकार के 14 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के मार्च 2019 में कुल खर्चों का 30 प्रतिशत से अधिक खर्च किया। विवरणी **अनुबंध-ज** में दी गयी है।

(xi) केन्द्रीय कर्जों के अपलेखन के सापेक्ष किए गए अधिक भुगतान का समायोजन

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार के निर्णयानुसार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के स्वीकृत्यादेश संख्या 13/2011-12 दिनांक 29 फरवरी 2012 द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के 31 मार्च 2010 तक के बकाए को मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय के सिवाय) द्वारा अपलेखित कर दिया गया तथा मंत्रालयों के बही खातों में चालू बकाया शेष को परिसीमित कर दिया गया। इन अपलेखित ऋणों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2010 के बाद किए गए ऋण तथा ब्याज का पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, का समायोजन राज्यों के विरुद्ध वर्तमान ऋणों के बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के विरुद्ध समायोजन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार से किया जाना था। राज्य सरकार ने ₹11.52 करोड़ (मूलधन ₹5.30 करोड़, ब्याज ₹6.22 करोड़) का अधिक पुनर्भुगतान किया था, जिसमें ₹3.47 करोड़ (मूलधन ₹ 1.25 करोड़, ब्याज ₹ 2.22 करोड़) का समायोजन वित्त मंत्रालय द्वारा जून 2013 में किया गया था। इसमें से शेष ₹8.05 करोड़ (मूलधन ₹4.05 करोड़, ब्याज ₹4.00 करोड़) का वित्त मंत्रालय द्वारा समायोजन में विलम्ब के कारण मूलधन ₹4.05 करोड़ का प्रतिकूल शेष (निवल नामे) तथा राज्य का लोक ऋण इस सीमा तक अतिदर्शित है। हालांकि वित्त मंत्रालय के पत्रांक 45 दिनांक 9.5.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि ₹3.20 करोड़ भी 2018-19 में समायोजित किया गया है जिसका विवरण अभी प्रतीक्षित है।

(xii) सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज दायित्व

राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि पर अपेक्षित पूर्ण ब्याज दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है।

तालिका-5: सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत बकायों का विवरण

(₹ करोड़ में)

सामान्य भविष्य निधि की श्रेणी	2018-19 के शुरूआत में शेष	बकाया ब्याज	जमा ब्याज
सामान्य भविष्य निधि	10,136.27	810.90	407.37
अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	214.55	17.16	12.00
कुल	10,350.82	828.06	419.37

(स्रोत- भीएलसी डाय बेस)

ब्याज का कम प्रावधान निधि में प्रतिकूल शेष का कारण बन सकता है।

(xiii) उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंश योजना (उदय)

बिजली वितरण कम्पनियों के पुनर्उत्थान पैकेज के अनुसार, राज्य सरकार ने ₹2,331.78 करोड़ तक का डिस्कॉम्स का ऋण रिजर्व बैंक के माध्यम से भाग ले रहे ऋणदाता बैंकों को वर्ष 2015-16 में ₹1,554.52 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में ₹777.26 करोड़ के बंध पत्र जारी कर अधिगृह्य किया। वर्ष 2016-17 में यह राशि वितरण कम्पनियों को सब्सिडी के रूप में हस्तान्तरित की गयी थी। राज्य सरकार ने उदय स्कीम अंतर्गत जारी किये गये बंध पत्र पर 2018-19 में ₹191.36 करोड़ ब्याज का भुगतान किया है।

(xiv) बकाएदार सरकारी कंपनियों को आर्थिक सहायता

राज्य सरकार ने 18 क्रियाशील और 12 अक्रियाशील राज्य लोक उपक्रमों को बजटीय सहायता (इक्विटी, ऋण, अनुदान एवं सहायता) प्रदान की तथा 31 मार्च 2019 तक जिस अवधि के लिए उनका लेखा उधार था उनका दायित्व (प्रतिपूर्ति) ₹30,481.18 करोड़ (इक्विटी- ₹10,232.23 करोड़, ऋण-₹3,171.54 करोड़, पूँजीगत अनुदान- ₹2,410.12 करोड़, प्रतिपूर्ति-₹6,753.21 करोड़ तथा सब्सिडी-₹7,914.08 करोड़) स्वीकार किया। इन लोक उपक्रमों ने पिछले 01 से 42 वर्षों से अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया है जो कि कंपनी एक्ट/संबंधित सांविधिक निगमों/लोक उपक्रमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

(xv) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (बीएफआरबीएम) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण

राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा तथा 2018-19 के लेखे के अनुसार उपलब्धियाँ निम्नवत है:

तालिका-6: बीएफआरबीएम अधिनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों का विवरण

क्रम सं.	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् आधिक्य बनाए रखना	राज्य सरकार ने 2007-08 से राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व आधिक्य (उदय को छोड़कर) ₹7,088.01 करोड़ (जीएसडीपी का 1.27 प्रतिशत) रहा। हालाँकि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह ₹6,896.65 करोड़ (जीएसडीपी का 1.24 प्रतिशत) होगा।

क्रम सं.	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
2	राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)* के अनुपात को वर्ष 2011-12 में 3.00 प्रतिशत लाना तथा इसे 2018-19 तक बनाए रखना	2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटा (उदय को छोड़कर) (₹13,615.40 करोड़) जीएसडीपी का 2.44 प्रतिशत था। हालाँकि, यदि उदय अंतर्गत व्यय को शामिल किया जाता है तो यह 2018-19 के दौरान (₹13,806.76 करोड़) जीएसडीपी का 2.48 प्रतिशत होगा।
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में 25.25 प्रतिशत तक लाना	लेखे के अनुसार, 2018-19 के दौरान ऋण एवं बकाया दायित्व (₹1,66,589.54 करोड़) (उदय को छोड़कर), आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 29.88 प्रतिशत है। हालाँकि, यदि उदय अंतर्गत ऋण को शामिल किया जाता है तो यह (₹1,68,921.32 करोड़) जीएसडीपी का 30.30 प्रतिशत होगा।
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर राजस्व संग्रहण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) प्रतिशत के रूप में 20.78 प्रतिशत तक बढ़ाना	लेखे के अनुसार, 2018-19 के दौरान कर राजस्व संग्रहण (₹1,03,011.27 करोड़) आकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 18.48 प्रतिशत है।

*स्रोत : योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार का पत्रांक सं० रा०आ०(वि०)-04/2016/1040/पटना दिनांक 13-08-2019। वर्ष 2018-19 में बिहार के लिए जीएसडीपी का आँकड़ा ₹ 5,57,490 करोड़ एनटीए में एफआरबीएम लक्ष्य पूर्ति-गणना के लिए लिया गया।

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा बीएफआरबीएम अधिनियम के अधीन नियमों की रचना अभी तक नहीं की गई है।

(xvi) जीएसडीपी द्वारा तैयार भारत सरकार के लेखा मानको का अनुपालन:

भारत सरकार के लेखा मानक (आईजीएस) संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण को निर्दिष्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा तीन आईजीएस को अधिसूचित किया गया है। इन आईजीएस के संबंध में अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

आईजीएस-1- सरकार द्वारा दी गयी गारंटी: वित्त लेखे में प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी का व्याख्या वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 में दर्शायी गयी है।

आईजीएस-2- सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरण: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त या दी गई सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण से संबंधित आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। आईजीएस-2 के आवश्यकताओं के अनुसार विवरण 10 तैयार किया गया है।

आईजीएस-3- सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिम: वित्त लेखे में आवश्यक प्रकटीकरण तैयार किए जाते हैं। आईजीएस-3 के जरूरत के अनुसार विवरण 7 और 18 को तैयार किया गया है। हालाँकि, अन्य ऋणदाता संस्था से बकाया राशि में भुगतान, अपरिवर्तनीय ऋण तथा अग्रिम का राईट-ऑफ एवं “एक ऋण को ऋण के रूप में अनंत काल तक स्वीकृत का मामला” नहीं बनाया जा सका क्योंकि ये जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई थी।

(xvii) त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण लेखांकन का राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा पर पड़ा प्रभाव (विवरणी पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिया गया है) निम्नवत है:-

तालिका-7 : राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

पैराग्राफ सं.	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटा पर प्रभाव	
		अतिदर्शित	न्यूनदर्शित	अतिदर्शित	न्यूनदर्शित
4 (vii) (घ)	ब्याज सहित आरक्षित निधि तथा जमा पर ब्याज का कम जमा किया जाना	3.74			3.74
4(xiii)	सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज का कम समायोजना	408.69			408.69
कुल (निवल)		अतिदर्शित 439.16		न्यूनदर्शित 439.16	

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्तक समायोजन

(क) आवर्ती समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
		से	को		
1	राज्य आपदा रिस्पाँस निधि का समायोजन (एसडीआरएफ)	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	1,430.66	बिहार राज्य आपदा रिस्पाँस निधि को अंशदान
		2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	(-)1,430.65	मुख्य शीर्ष 2245 से प्रारंभ में किये गये व्यय को मुख्य शीर्ष 8121-एसडीआरएफ से प्रतिपूर्ति कर दिया गया है।
2	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन (राज्य)	2049-ब्याज अदायगियाँ	8009-राज्य भविष्य निधि	407.37	सामान्य भविष्य निधि पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
		2049-ब्याज अदायगियाँ	8009-राज्य भविष्य निधि	12.00	अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
3	समूह बीमा पर ब्याज का समायोजन (राज्य)	2049-ब्याज अदायगियाँ	8011-बीमा तथा पेंशन निधि	390.77	राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना पर जमा ब्याज की राशि का समायोजन
4	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	8222-निक्षेप निधि	783.88	निक्षेप निधि वार्षिक अंशदान
जोड़				1,594.03	

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमशः...

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
1	निदेशन	2043- राज्य वस्तु और सेवा कर अंतर्गत संग्रहण प्रभार	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.70
2	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों का मरम्मत और रखरखाव	2055- पुलिस	8448-स्थानीय निधियों की जमा	30.00
3	पुलिस और अन्य फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना	2055- पुलिस	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.82
4	पुलिस प्रशासन का सुदृढीकरण और उन्नयन	2055- पुलिस	8448-स्थानीय निधियों की जमा	7.04
5	ब्लॉक शिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के लिए समेकित भुगतान	2202- सामान्य शिक्षा	8342-अन्य जमा	7.48
6	ब्लॉक शिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के लिए समेकित भुगतान	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.70
7	मुख्यमंत्री बालक साईकल योजना	2202- सामान्य शिक्षा	8342-अन्य जमा	1.03
8	मुख्यमंत्री बालिका साईकल योजना	2202- सामान्य शिक्षा	8342-अन्य जमा	1.20
9	अन्य विद्यालय	2202- सामान्य शिक्षा	8342-अन्य जमा	3.69
10	जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षक को समेकित अनुदान	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.35
11	राज्य विश्वविद्यालयों का विकास	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	70.56
12	मौलाना मजरूल हक अरबी पारसियन विश्वविद्यालय	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.71
13	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम	2202- सामान्य शिक्षा	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.00
14	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1961.37
15	इंदिरा गाँधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना	2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	8448-स्थानीय निधियों की जमा	230.00
16	मुख्यमंत्री पेय जल आपूर्ति निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	499.23

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
17	स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.29
18	नगर परिषद् को पेयजल आपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8342-अन्य जमा	3.65
19	नगर परिषद् को पेयजल आपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.55
20	स्थानीय शहरी निकायों को सिवरेज तथा नालियों के लिए सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	22.71
21	स्थानीय शहरी निकायों को सिवरेज तथा नालियों के लिए सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8342-अन्य जमा	10.00
22	स्थानीय शहरी निकायों को सिवरेज तथा नालियों के लिए सहायता अनुदान	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.47
23	शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	9.53
24	शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	187.70
25	झीलों का सौंदर्यीकरण	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.50
26	भूमि अधिग्रहण	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.14
27	नगरपालिकाओं का कार्यपालक पदाधिकारी	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.97
28	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.52
29	नगर परिषद को प्रशासनिक और तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.02
30	सिविल क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	2.05
31	सिविल क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	44.84

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
32	सिविल क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4.99
33	नगर परिषद को प्रशासनिक और तकनीकी भवनों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.46
34	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	4.42
35	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	77.46
36	शहरी बुनियादी ढांचे संबंधित	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.08
37	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	7.47
38	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	103.99
39	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजना संबंधित	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.04
40	शहरी स्थानीय निकायों को परिवहन हेतु सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.09
41	अभियंत्रण कक्ष	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.50
42	पेशाकर के आलोक में अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	3.97
43	पेशाकर के आलोक में अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	13.95
44	नगर निगम हेतु विद्युत विपन्न भुगतान के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	74.08
45	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	15.99
46	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	16.21

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
47	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	10.94
48	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	132.95
49	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	97.74
50	वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	56.56
51	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	54.33
52	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	336.59
53	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	16.95
54	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	218.63
55	पेशाकर के आलोक में अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	1.25
56	पेशाकर के आलोक में अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	6.18
57	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8342-अन्य जमा	9.39

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
58	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायता अनुदान	2217-शहरी विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	138.33
59	महादलितों का विकास	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	305.00
60	शिक्षा	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8342-अन्य जमा	1.51
61	शिक्षा	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.49
62	बिहार कौशल विकास मिशन	2230- श्रम, नियोजन और कौशल विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	319.75
63	संभावना हेतु	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.96
64	आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए यूनिफार्म योजना	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8342-अन्य जमा	3.09
65	मानवता आधारित राहत	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.78
66	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	261.58
67	कृषि विभाग (कृषि इनपुट) के लिए अन्य अनुदान कार्य	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1115.00
68	राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.21
69	गुणवत्तापूर्ण बीज फार्म का प्रसार-खेती पर व्यय	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	23.82

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
70	कृषि नवाचार प्रोत्साहन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.12
71	बाढ़ एवं सुखे के लिए आपातकालीन योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	249.00
72	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रोद्योगिकी मिशन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	26.16
73	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	30.08
74	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई)(एसीए)	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.89
75	बागवानी विकास योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	40.79
76	बाढ़/सुखे के लिए आपातकालीन योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	51.00
77	बागवानी विकास योजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	7.86
78	राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रोद्योगिकी मिशन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.04
79	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.17
80	बीज उत्पादक कार्यक्रम	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	4.59
81	कृषि यांत्रिकरण पर उपयोजना	2401- फसल कृषि कर्म	8448-स्थानीय निधियों की जमा	32.18
82	एकीकृत जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	2402- भूमि तथा जल संरक्षण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	60.43
83	भूमि संरक्षण कार्य	2402- भूमि तथा जल संरक्षण	8448-स्थानीय निधियों की जमा	49.50
84	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्नों के अंतःराज्यीय संग्रहण और उचित दर दुकान डीलर मार्जिन	2408- खाद्य भंडारण और भांडागार	8448-स्थानीय निधियों की जमा	356.47

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमशः...

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
85	राज्य वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8342-अन्य जमा	18.95
86	राज्य वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	264.86
87	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.16
88	राज्य वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में प्रखण्ड पंचायतों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8342-अन्य जमा	4.86
89	राज्य वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में प्रखण्ड पंचायतों को अंशदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	128.38
90	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.82
91	राज्य वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अनुदान	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.11
92	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.40
93	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8342-अन्य जमा	1.09
94	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	55.83
95	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	11.74
96	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.83

अनुबंध-क
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)
पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
97	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
98	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2705-कमान क्षेत्र विकास	8448-स्थानीय निधियों की जमा	56.66
99	मुख्यमंत्री निश्चय विद्युत संबंध योजना	2801- बिजली	8448-स्थानीय निधियों की जमा	560.00
100	उद्योग मित्र	2851- ग्रामीण और लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.40
101	हस्तशिल्प का विकास	2851- ग्रामीण और लघु उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	9.20
102	स्टेट डाटा सेन्टर	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.07
103	निवेश आयुक्त का कार्यालय	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.22
104	व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रसार हेतु अन्य मूलभूत संरचना का निर्माण, विकास और रखरखाव- बिहार व्यापार विकास कोष	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	72.38
105	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.00
106	उद्यमिता विकास योजना के लिए स्थापना	2852- उद्योग	8448-स्थानीय निधियों की जमा	25.65
107	पर्यटन केन्द्र	3452-पर्यटन	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.01
108	लक्षित जन वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	3456- सिविल पूर्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	31.75
109	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	3456- सिविल पूर्ति	8448-स्थानीय निधियों की जमा	631.78
110	भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला समिति से कर का भुगतान	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.68

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
111	पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8342-अन्य जमा	1.83
112	पुलिस स्टेशन/चौकी के लिए भूमि अधिग्रहण	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.99
113	पुलिस भवन का निर्माण एवं रखरखाव	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	386.92
114	पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	27.89
115	कृषि कार्यालय भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	17.91
116	भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	12.46
117	वित्त विभाग का भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.15
118	कृषि कार्यालय भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.38
119	अनुसूचित जातियों के लिए भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	232.86
120	अनुसूचित जन जातियों के लिए भवन	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	146.95
121	सांस्कृतिक संरचना	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	75.04
122	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन के लिए)	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	9.32
123	अनुसूचित जातियों के विकास की योजना	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.41
124	स्टेडियम तथा खेल अवसंरचना	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	50.04
125	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय और छात्रावास के भवनों का निर्माण और जीर्णोद्धार	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	71.85

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमश....

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
126	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	74.69
127	अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.11
128	बिहार फायर ब्रिगेड का भवन निर्माण	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.17
129	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	774.93
130	राज्य के क्षेत्रीय/जिला/अनुमंडल परिवीक्षा कार्यालय के कार्यालय भवन का निर्माण	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.00
131	होम गार्ड के भवन का निर्माण	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
132	मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	195.35
133	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	107.19
134	राजकीय उच्च विद्यालय के भवन	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	27.27
135	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भवन (ईएपी)	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	210.00
136	खुला राजकीय विद्यालय	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	20.00
137	जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीतिक अनुसंधान संस्थान, पटना	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	2.35

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमशः...

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
138	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण	4202- शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	53.04
139	जिला एवं अनुमंडल चिकित्सा भवन का निर्माण तथा नवीकरण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	33.00
140	मासिक स्वास्थ्य रक्षा चिकित्सा भवन का निर्माण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	20.00
141	इंदिरा गाँधी हृदयरोग संस्थान, पटना	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	5.00
142	चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	6.48
143	स्वास्थ्य उपकेन्द्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	62.52
144	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण एवं नवीकरण	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	35.00
145	नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	121.00
146	मानव संसाधनों में स्वास्थ्य और लोक शिक्षा	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	160.00
147	आग्निजयलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम)/जेनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) विद्यालय	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	125.00
148	बी०एससी० नर्सिंग महाविद्यालय (निश्चय)	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	120.00
149	दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	25.00
150	चिकित्सा महाविद्यालय	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	310.00
151	बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना प्रबंधन लिमिटेड	4210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	50.00

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमशः...

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
152	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	486.49
153	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना (ट्यूबवेल, कुँआ और हैंडपम्प)	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	14.00
154	ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	50.00
155	मुख्य मंत्री पेय जल आपूर्ति निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,099.00
156	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	16.77
157	न्यायाधीश आवास (विधि विभाग)	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	8.00
158	अल्पसंख्यक बालकों और बालिकाओं के छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1.19
159	कृषि कार्यालय के भवनों की स्थापना	4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	46.76
160	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	101.00
161	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	10.00
162	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	500.00
163	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,719.36
164	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	100.00

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 1 (ii) का संदर्भ)

पुस्तक समायोजन

(ख) अन्य समायोजन क्रमांत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समायोजन	लेखा शीर्ष		राशि
		से	को	
165	ग्रामीण विकास परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	459.31
166	बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि०	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	430.26
167	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	211.00
168	उत्तर बिहार पावर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (एनबीपीडीसीएल) की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	845.77
169	दक्षिण बिहार पावर डीस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (एसबीपीडीसीएल) की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	600.00
170	बिहार राज्य पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि० की परियोजना	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	288.54
171	बिहार राज्य वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	46.00
172	सेतु	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	250.00
173	सेतु (नाबार्ड)	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	500.00
174	केन्द्रीय सड़क निधि	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	75.00
175	मुख्य सड़क	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	221.72
176	सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित)	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	1,481.00
177	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र संबंधित पथ परियोजना-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	5054- सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	384.91
178	पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	3.00
179	पर्यटक अवसंरचना का विकास	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448-स्थानीय निधियों की जमा	41.45

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ख

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3(ii) का संदर्भ)

(क) 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियाँ की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	476.80	307.78	64.55
2	0041	वाहन कर	2,085.94	658.53	31.57
3	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1,371.94	261.57	19.07
4	0059	लोक निर्माण	25.39	25.39	100.00
5	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	46.80	35.43	75.71
6	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	18.85	4.77	25.31
7	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	66.61	33.05	49.62
8	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	11.41	1.51	13.23
9	0220	सूचना एवं प्रचार	0.30	0.16	53.33
10	0230	श्रम तथा रोजगार	14.89	12.41	83.34
11	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.08	0.09	112.50 [#]
12	0250	अन्य सामाजिक सेवायें	0.05	0.05	100.00
13	0401	फसल कृषि कर्म	14.99	6.89	45.96
14	0405	मछली पालन	13.17	1.38	10.48
15	0506	भूमि सुधार	0.28	0.28	100.00
16	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	62.37	44.42	71.22
17	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.06	0.05	83.33
18	0852	उद्योग	0.13	0.13	100.00
19	1053	नागर विमानन	6.70	6.50	97.01
20	1054	सड़क तथा सेतु	118.06	35.20	29.82
21	1452	पर्यटन	1.75	1.75	100.00
22	1456	सिविल पूर्ति	0.11	0.11	100.00

[#] लेखा में ₹ 0.01 करोड़ की वापसी सम्मिलित है। इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ख

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (ii) का संदर्भ)

(ख) 800-‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत लेन-देन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए व्यय की प्रतिशतता
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	4.55	5.04	110.77 [#]
2	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	314.77	111.18	35.32

[#] लेखा में ₹ 0.49 करोड़ की वापसी सम्मिलित है। इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।
(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ग

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (iv) का संदर्भ)

31 मार्च 2019 को अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	असमायोजित अग्रिम तथा अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	राष्ट्रीय उच्च पथ	0.78	0.09	0.87
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
5	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
6	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ)	59.48	5.33	64.81
8	नलकूप एवं लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
जोड़		184.52	25.46	209.98

(स्रोत : प्रमंडलों के मासिक लेखे)

अनुबंध-घ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)
31 मार्च 2019 को पाँच लगातार वित्तीय वर्षों से
अधिक रखी अव्ययित राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कोषागार	पीडी खाते का नाम	राशि
1	गया	डीएलएओ, गया	21.21
2	बेगुसराय	डीएलएओ, बेगुसराय	16.33
3	कैमूर	डीएलएओ, कैमूर	16.22
4	मुजफ्फरपुर	डीएलएओ, मुजफ्फरपुर	4.94
5	समस्तीपुर	डीएलएओ, समस्तीपुर	4.74
6	सासाराम	डीएलएओ, सासाराम	1.16
7	पटना	डीएम,पटना	0.66
8	जहानाबाद	डीएलएओ, जहानाबाद	0.30
9	पुर्णिया	डीएलएओ, पुर्णिया	0.21
जोड़			65.77

(स्रोत: कोषागारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

अनुबंध-ड

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)

31 मार्च 2019 को अपरिचालित पीडी खातो की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कोषागार	परिचालक/प्रशासक का नाम	राशि
1	अररिया	एसडीओ, अररिया	0.00
2	औरंगाबाद	एसडीओ, औरंगाबाद	0.00
3	औरंगाबाद	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद	0.00
4	बगहा	एसडीओ, बगहा	0.00
5	बांका	डीएम, बांका	25.30
6	बांका	एसडीओ, बांका	0.00
7	बांका	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बांका	0.00
8	बाढ़	एसडीओ, बाढ़	0.00
9	बारसोई	एसडीओ, बारसोई	0.00
10	बेगुसराय	एसडीओ, बेगुसराय	0.00
11	बेगुसराय	एसडीओ, मंझौल	0.00
12	बेगुसराय	एसडीओ, बलिया	0.00
13	बेगुसराय	एसडीओ, बखरी	0.00
14	बेगुसराय	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेगुसराय	0.00
15	बेनीपुर	एसडीओ, बेनीपुर	0.00
16	बेतीया	डीएम, बेतीया	0.00
17	बेतीया	एसडीओ, बेतीया	0.00
18	बेतीया	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बेतीया	0.00
19	भागलपुर	एसडीओ, सदर, भागलपुर	0.00
20	भागलपुर	एसडीओ, कहलगाँव	0.00
21	भोजपुर	डीएम, भोजपुर	0.20
22	भोजपुर	एसडीओ, आरा	0.00
23	वीरपुर	एसडीओ, वीरपुर	0.00
24	बक्सर	एसडीओ, बक्सर	0.00
25	बक्सर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर	0.00
26	दानापुर	एसडीओ, दानापुर	0.00
27	दानापुर	एसडीओ, पालीगंज	0.00
28	दरभंगा	एसडीओ, सदर, दरभंगा	0.00
29	दरभंगा	डीएम, दरभंगा	0.00
30	दाउदनगर	एसडीओ, दाउदनगर	0.00
31	फारबिसगंज	एसडीओ, फारबिसगंज	0.00
32	जहानाबाद	एसडीओ, जहानाबाद	0.00
33	जहानाबाद	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद	0.00

अनुबंध-ड क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)

31 मार्च 2018 को अपरिचालित पी०डी० खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कोषागार	परिचालक/प्रशासक का नाम	राशि
34	जमुई	डीएम, जमुई	0.00
35	जमुई	एसडीओ, जमुई	0.00
36	जमुई	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई	0.00
37	झंझारपुर	एसडीओ, झंझारपुर	0.00
38	झंझारपुर	एसडीओ, फुलपरास	0.00
39	कैमुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कैमुर	0.00
40	कटिहार	डीडीसी, कटिहार	1.50
41	कटिहार	एसडीओ, कटिहार	0.00
42	कटिहार	एसडीओ, मनीहारी	0.00
43	कटिहार	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार	0.00
44	खगड़िया	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया	0.00
45	किशनगंज	एसडीओ, किशनगंज	0.00
46	लखीसराय	डीएम, लखीसराय	0.00
47	लखीसराय	एसडीओ, लखीसराय	0.00
48	लखीसराय	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, लखीसराय	0.00
49	मधेपुरा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	0.00
50	मधुबनी	डीएम, मधुबनी	0.00
51	मधुबनी	एसडीओ, मधुबनी	0.00
52	मधुबनी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी	0.00
53	मोतीहारी	डीएम, मोतीहारी	0.00
54	मुंगेर	डीएम, मुंगेर	0.00
55	मुंगेर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर	0.00
56	मुजफ्फरपुर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	0.00
57	नालंदा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालंदा	0.00
58	नरकटियागंज	एसडीओ, नरकटियागंज	0.00
59	नवादा	डीएम, नवादा	0.00
60	नवादा	एसडीओ, नवादा	0.00
61	नवादा	एसडीओ, रजौली	0.00
62	नवादा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नवादा	0.00
63	निर्मली	एसडीओ, निर्मली	0.00
64	पटना	डीएम, पटना	0.66
65	पटना	एसडीओ, पटना	0.00

अनुबंध-ड क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 3 (vi) का संदर्भ)

31 मार्च 2018 को अपरिचालित पी०डी० खातों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कोषागार	परिचालक/प्रशासक का नाम	राशि
66	पटना सिटी	एसडीओ, पटना सिटी	0.00
67	रोहतास	डीएम, रोहतास, सासाराम	0.00
68	रोहतास	एसडीओ, विक्रमगंज	0.00
69	रोहतास	एसडीओ, सासाराम	0.00
70	रोहतास	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, रोहतास	0.00
71	सहरसा	डीएम, सहरसा	0.00
72	सहरसा	एसडीओ, सहरसा	0.00
73	सहरसा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सहरसा	0.00
74	सारण	एसडीओ, मढ़ौरा	0.00
75	सारण	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सारण	0.00
76	शेखपुरा	डीएम, शेखपुरा	0.00
77	शेखपुरा	एसडीओ, शेखपुरा	0.00
78	शेखपुरा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, शेखपुरा	0.00
79	शिवहर	एसडीओ, शिवहर	0.00
80	शिवहर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, शिवहर	0.00
81	शेरघाटी	एसडीओ, शेरघाटी	0.00
82	सीतामढ़ी	डीएम, सीतामढ़ी	0.00
83	सीतामढ़ी	एसडीओ, सीतामढ़ी	0.00
84	सीतामढ़ी	एसडीओ, बेलसंड	0.00
85	सीतामढ़ी	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0.00
86	सिवान	डीएम, सिवान	0.00
87	सिवान	एसडीओ, सिवान	0.00
88	सिवान	एसडीओ, महाराजगंज	0.00
89	सिवान	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान	0.00
90	सुपौल	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सुपौल	0.00
91	तेघरा	एसडीओ, तेघड़ा	0.00
92	वैशाली	डीएम, वैशाली	0.07
93	वैशाली	एसडीओ, महनार	0.00
94	वैशाली	एसडीओ, हाजीपुर	0.00
95	वैशाली	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, वैशाली	0.00
जोड़			27.73

(स्रोत: कोषागारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

अनुबंध- च

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4 (vii)(क) का संदर्भ)

निष्क्रिय आरक्षित निधियों की सूचना

(₹ लाख में)

क्रम सं०	मुख्य एवं लघु शीर्ष की नामावली		आरक्षित निधि की संख्या	31 मार्च 2019 तक का शेष		वर्ष का लेन-देन
1	8223	101- अकाल राहत निधि	अप्राप्त	जमा	33.98	*
		102- अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	अप्राप्त	नामे	9.61	*
2	8229	101- शिक्षा प्रयोजनों के लिए विकास निधि	अप्राप्त	जमा	0.54	*
3	8235	101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	अप्राप्त	जमा	314.41	2001-02
		102-जमींदारी उन्मूलन निधि	अप्राप्त	जमा	206.55	*
		200- अन्य निधियाँ	अप्राप्त	जमा	2,085.99	2001-02
कुल जोड़				जमा	2,631.86	

* अविभाजित बिहार से प्राप्त आकड़ा। 15 नवम्बर 2000 से कोई लेन-देन नहीं है।
(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-छ

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4 (viii) का संदर्भ)

उचंत एवं प्रेषण शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-101 - वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	296.05	0.00	335.27	0.00	314.56	0.00
निवल	(नामे) 296.05		(नामे) 335.27		(नामे) 314.56	
8658-102 - उचंत लेखा (सिविल)	4,673.39	297.35	4,059.01	309.73	4,408.94	452.87
निवल	(नामे) 4,376.04		(नामे) 3,749.28		(नामे) 3,956.07	
8658-110 - रिजर्व बैंक उचंत- केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1,265.00	894.60	1,276.72	894.62	1,280.04	894.61
निवल	(नामे) 370.40		(नामे) 382.10		(नामे) 385.43	
8782-102- लोक निर्माण प्रेषण	1,18,943.96	1,18,827.32	16,469.13	15,520.08	16,746.56	15,838.27
निवल	(नामे) 116.64		(नामे) 949.05		(नामे) 908.29	
8782-103- वन प्रेषण	2,535.84	2,318.34	2,779.39	2,535.37	3,146.33	2,937.60
निवल	(नामे) 217.50		(नामे) 244.02		(नामे) 208.73	

(स्रोत: भीएलसी आँकड़ा)

अनुबंध-ज

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पारा 4 (x) का संदर्भ)

व्यय का अत्यधिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	विवरण	प्रथम त्रैमासिक	द्वितीय त्रैमासिक	तृतीय त्रैमासिक	चतुर्थ त्रैमासिक	जोड़	मार्च 2019 के दौरान	2018-19 के कुल व्यय के सापेक्ष मार्च 2019 में व्यय की प्रतिशतता
01	कृषि विभाग	49.96	360.45	408.41	1,375.99	2,194.81	869.84	39.63
03	भवन निर्माण विभाग	78.12	448.03	365.74	2,342.05	3,233.94	1,425.04	44.07
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	22.90	45.00	37.91	128.86	234.67	104.79	44.65
06	निर्वाचन विभाग	3.80	13.36	16.84	81.46	115.46	59.73	51.73
09	सहकारिता विभाग	25.39	515.89	36.62	901.43	1,479.33	815.13	55.10
10	ऊर्जा विभाग	1,421.14	3,662.42	1,532.87	5,501.48	12,117.91	3,976.99	32.82
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	16.81	50.29	56.64	226.26	350.00	181.60	51.89
25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.54	12.04	18.79	141.38	172.75	84.00	48.63
41	पथ निर्माण विभाग	246.35	1,650.80	976.65	3,611.43	6,485.23	2,028.26	31.28
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	21.35	28.95	43.01	156.78	250.09	87.11	34.83
45	गन्ना उद्योग विभाग	7.38	16.42	31.10	114.56	169.46	76.49	45.14
47	परिवहन विभाग	6.90	10.83	24.07	1,120.40	1,162.20	1,063.32	91.49
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	53.43	684.09	705.25	1,857.25	3,300.02	1,031.67	31.26
50	लघु जल संसाधन विभाग	35.30	67.92	108.84	392.38	604.44	347.91	57.56

(स्रोत: भीएलसी ऑकड़)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2019
www.cag.gov.in



www.ag.bih.nic.in